

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 756 बैठक दिनांक 22/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमेनशिप में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफ़ेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षयक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्टों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No. P2/785/24 Kirti Patidar and Ravindra Patidar, SHREE SHYAM ENTERPRISES, R/o-Village & Post- Balsamund, Tehsil- Kasrawad, District-Khargonne, M.P Prior Environment Clearance for Gitti amd M-Sand in an area of 2.00 ha. Gitti – 10,000 m3/Year and M-Sand – 5000 m3/Year) (Khasra No. 15/1), Village Khariya, Tehsil Maheshwar, District Khargone(M.P.) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम इन्टरप्राईजेस पार्टनर श्रीमती कीर्ति पाटीदार ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री श्याम इन्टरप्राईजेस पार्ट. श्रीमती कीर्ति पाटीदार तथा रविन्द्र पाटीदार पता—वार्ड नं. 02 ग्राम बालसमुन्द तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. 15 / 1 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village-Khariya Tehsil -Maheshwar, District-Khargone (M.P.).	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1025 / खनिज / 2023 दिनांक 18 / 08 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 196 / DEIAA / 2017 दिनांक 23 / 05 / 2017 के द्वारा पत्थर गिटटी क्षमता-.3007 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर / वर्ष एवं एम.सेण्ड-5,000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम.सेण्ड-5,000 घनमीटर / वर्षहै ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3175 / खनिज / 2024 दिनांक 12.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 2.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3175 / खनिज / 2024 दिनांक 12.03.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3175 / खनिज / 2024 दिनांक 12.03.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खारिया जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 25.04.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र एवं एम.सेण्ड लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ो की संख्या-0

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा—उत्खनिपट्टे के पूर्व दिशा में 170 मीटर पर एक चेक डैम परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार चेक डैम से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं इस क्षेत्र में एम् सैंड लगाया जावेगा ।</p>
	<p>पश्चिम दिशा — उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 215 मीटर पर एक छोटा चेक डैम परिलक्षित हो रहा ।</p>
	<p>दक्षिण पूर्व दिशा—</p> <ol style="list-style-type: none"> उत्खनिपट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा में 170 मीटर पर एक स्टॉप डैम परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आर.ई. एस(Irrigation Department) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 717 दिनांक 17.05.2024 के माध्यम से डैम के एच.एफ.एल की दूरी 180 मीटर बताई गयी जिससे की अनुमोदित खनन योजना अनुसार 200 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है समान दिशा में 180 मीटर की दूरी पर एक शेड दिख रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कियह पोल्ट्री फार्म था जो कि बंद है एवं उक्त पोल्ट्री फार्म से अनुमोदित खनन योजना अनुसार 200 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है। <p>दक्षिण दिशा— उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 235 मीटर पर एक नहर परिलक्षित हो रही है</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—85 के सरल क्रमांक—43 पर दर्ज है ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739 वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म—2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 15 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित मार्ईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार वर्तमान में खनन कि गहरायी बेंच निर्मित करने कि परिस्थिति तक नहीं पहुंची है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

PP submitted that with reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case. This is due to changes in production From 3007 Cu.mt/year stone to 10000 Cu.mt/year Stone & AD M-Sand 5000 Cu.mt/year in the previous environmental clearance granted by DEIAA. As a result, we are submitting an application for this case to be considered as new.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि उत्खनिपट्टे के पूर्व दिशा में 30 मीटर परिलक्षित हो रही संरचना के संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत लाडवी के पत्र दिनांक 08.05.2024 में उल्लेखित है कि उक्त संरचना आस पास के किसानों द्वारा मिटटी मुरुम निकाल कर निजी उपयोग हेतु पाल बना ली गयी है जो की कोई चेक डैम अथवा शासकीय योजना के तहत निर्मित जल संरक्षण संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता –पथर–10,000 एवं एम.सेण्ड-5,000 घनमीटर/वर्षहै।
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिर्दशों के अनुसार प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 11.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.2.05 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>	Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 220 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,10,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2400 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~620m periphery of Mine lease boundary (1000nos.)	1,50,000	10,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 1st year- 1300 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 65000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain	10,000	1,500
6	Total Wire Fencing = (~620m long) - {15% completed= 90 m} (85% Remaining to be installed = 510m @500 Rs./m	2,55,000	10,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
8	Curtailing around the crusher unit:total 100m long per sheet (4m high X 2m width)@ 1000Rs/sheet No. of sheet = 100/2= 50	50,000	-
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	20,000	8,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
14	Expenditure for pollution control equipments for crusher	2,50,000	50,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	20000	
17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 200 nos @Rs 120 /bulb for the mitigation towards the carbon.	20000	
	Total	11,40,000	2,05,500

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम खारिया स्थित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में ग्राम आंगनबाड़ी हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 6 माह के अन्दर प्रदान की जावेगी।	70,000/-
कुल	70,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— सिस्सू काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, पीपल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोल आदि।	1000
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No. 9478/2024 Shri NITIN SARAOGI, Lease owner, R/o- 1680, civil line, jhansi, district- Jhansi (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.752 ha. (1,00,000 -- cum per annum) (Khasra No. 659/GHA(P)) Village- Devri Bamnau, Tehsil- Niwari Distt.- Niwari (M.P.). (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक नितिन सरोगी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	नितिन सरोगी निवासी 1680, सिविल लाइन, झाँसी, जिला झाँसी (U.P.)
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	659/GHA (659/4 new) (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लेंड) नोइयत- पठार. Area-3.752ha
स्थल	Village- Devri Bamnau, Tehsil- Niwari Distt. - Niwari, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 12691 भोपाल दिनांक 19/09/2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-1,00,000 घनमीटर/वर्ष और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-1,00,000 घनमीटर/वर्ष
टॉर	ToR Recommended in 613 rd SEAC Meeting dated 22/12/2022. TOR Letter no. 2614/SEIAA/2023, dated 30/01/2023
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 530/2022 निवाड़ी दिनांक 02/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृति 1 अन्य खदान जिसका रकबा 2 हेक्टेयर है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 530/2022 निवाड़ी दिनांक 02/11/2022 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/इंकोर्सेसेटिव जौन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू 530/2022 निवाड़ी दिनांक 02/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	मानवब साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवरी बमनउ जिला निवाड़ी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07. दिनांक 16/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण—30 6 पेड़ काटा जायेगा एवं उनके स्थान पर 10 गुना अर्थात् 60 वृक्ष अतिरिक्त लगाये जायेंगे ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 92 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 393 मीटर पर दक्षिण पूर्व में पक्का रोड 656 मीटर पर दक्षिण दिशा में आबादी 636 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू 558/2022 निवाड़ी दिनांक 25/11/2022 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 —जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है कि लीज के बगल में परियोजना प्रस्तावक के स्वयं कि खदान है जिसकी सिया से पर्यावरणीय स्वीकृति सन २०२२ मिल चुकी है कार्यालय कलेक्टर जिला निवाड़ी के पत्र क्रमांक ६३०/खनिज/२०२२ निवाड़ी दिनांक १५.१२.२०२२ के अनुसार ग्राम धावबंगरा तहसील निवाड़ी के ग्राम में आदेशानुसार पौधरोपण कार्य कर पक्की तार बाउंड्रीवाल कराकर नीम, पीपल शीशम बरगद करजी पौधों का वृक्षरोपण कार्य पूर्ण किया गया है जिसकी फोटोग्राफ्स सम्बन्धी विभागों में जमा कि गए हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता— पत्थर—1,00,000 घनमीटर/वर्ष

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.23 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1a	Water sprinkling though Automatic water sprinkling system both on haul road and transportation road (water fogging machin).	1,00,000	50,000
1 b	Cost of water of 4400 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,98,000
2	Garland Drain is proposed (370mx1.5mx1.5m) 1. Settling Tank is 10m x 04 m x 1.5 2. Settling Tank is 15m x 04 m x 1.5 3. Settling Tank is 15m x 04 m x 1.5	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (150mX5m) @300/sqm=7,50,000	225,000	22,500
4	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in barrier zone – 1440 1440 plant/year x Rs.200=2,88,000/- Plantation in Village and School @ Rs. 50/plant. Total Plantation in Gram panchayat Devri Bamnau, School, Between boundary/boarder of Forest area and Mine area 3080 (3080 XRs. 50)= 154,000 /-	459,500	45,950
	Plantation in approach road@ Rs. 500/plant. Total Plantation in approach road 50(50XRs.		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	500)= 25,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water once in a year) 1,50,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X1 and Rs. 1,000/year for maintenance.	15000	3,000
8	Medical Check-up for 46 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	46,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 48 workers@ Rs. 1500/worker	72,00 0	7,200
11	Shelter rooms for labors (20*10) =200 Square feet @Rs.800/square ft.	1,60,000	16,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 15 trucks @1000/truck	NIL	30,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	10,000	NIL
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development &maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	Barbed fencing for 940 m @ 300/meter	2,82,000	2820
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
17	Vocational Training for 46 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	23,000
18	LED Bulb Distributionfor carbon reduction	100,000	-
	Total	17,25,500/-	6,23,470/-

6. सी.ई.आर. मद मे निम्नानुसार राशि रु. 01 लाख तथा सी.ई.आर. मे प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष मे पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रु.मे)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम देवरी बमनौ के प्राथमिक स्कूल के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि जमा करवाया जावेगा।	Rs. 1,00,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4570 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या मे)
1	बैरियर जोन गैर—खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	940 500
2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	50
3	देवरी बमनौ, देवरी कलरऊ, मोहनपुरा और, जरबो, गांव के घरों मे पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	3040
4	ग्राम देवरी बमनौ के शासकीय विद्यालय।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मौलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	40

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

3. **Case No. P2/840/24 NITESH SOLANKI, Daudwa, Owner, Tehsil-Bhikhangaon, District-Khargone M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.0 ha. (Stone – 23278 m3/Year) (Khasra No. 326), Village- Temla, Tehsil & District-Khargone (M.P) (B2)**

प्रस्तावितपत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नितेश सोलंकी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Zenith Environment Consultancy** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nitesh Solanki, S/o Shri tarachand Solanki, R/o 3/78, A.B. Road Nai Basti, Rau, District – Indore, (MP)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	निजी 3.0Ha.
स्थल	Village – Temla& Tehsil – Khargone, District – Khargone(M.P)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगोन के पत्र क्रमांक 745/ खनिज / 2016 खरगोन दिनांक 29.09.2018 के अनुसार स्वीकृत ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान काउत्पादन क्षमता 23,280 घनमीटर/वर्ष
संशोधित माईनिंग	नहीं

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।				
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर कोर्डिनेट्स नहीं है		
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (टेमला)दिनांक - 14.04.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, खरगोन के पत्र क्रमांक 136/DEIAA/ 2016 खरगोन दिनांक 24.12.2016 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case (डिया प्रकरण)			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 23,278 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 745/खनिज/2016 खरगोन दिनांक 17.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 745/खनिज/2016 खरगोन दिनांक 17.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित हैं तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 745/खनिज/2016 खरगोन दिनांक 17.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेमलाजिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 12. 06.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र पर क्रेशर प्लांट प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपणकिया है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—30 मीटर दूर दक्षिण दिशा में कच्चा रोड
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—के सरल क्रमांक—37 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।
 समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमानगई। स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स मेंबैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपणकिया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसारसामाजिक कार्य काविवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के पास से एक कच्ची सड़क जा रही है। जिससे 100 मीटर का सेट बैक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र 1.44 हेक्टेयरशेष बच रहा है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नकृत अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पथर – 23278 घनमीटर/वर्ष है।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्लेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्लेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
9. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 10- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.78 लाख प्रति वर्ष।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 300 days	Nil	60,000
2	Four Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [572 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	20,000	10,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1000 m , Width 6.0m) 1000m @ 100Rs./Meter	1,00,000	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	20,000
5	Plantation (3000 plants will be planted & Distribution during the	3,45,000	15,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	First year)		
6	Wire Fence 706 m x 100	70600	10,000
7	Crusher Pollution Equipment	1,50,000	50,000
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (21 x 15 feet)	10,000	1,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
11	Occupational health Survey 12 Labour @ 500 Rs. = 6000 Rs./twice per year @500 x 2 x 12	Nil	12,000
12	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 12 labor @ 800 Rs.	9600	2,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP Cost		8,26,700	2,87,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्राम टेमला केशासकीयमाध्यमिकशाला को मरम्मत हेतु	50,000
	Total	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

पौधोंकीकुलसंख्या – 3000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अवस्था	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसंख्या	
	बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफेद), जंगलजलेबी, आँवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> पौधोंसे पौधोंके बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्तिसे पंक्ति की दूरी 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूंद। ट्रैच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। तार की बाइकी सुरक्षा के साथ। गारलैंड डेनव सेट लिंगटैंक की बुंद पर बीज रोपण किया जाएगा।
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4 - 5 फीट की दूरी पौधोंसे पौधोंके बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्तिसे पंक्ति की दूरी 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। पौधोंकी सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट की चार्चाई का ट्रैक बनाया जाएगा।
प्रथमवर्ष	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	पौधोंसे पौधोंके बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्तिसे पंक्ति की दूरी 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूंद। ट्रैच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। तार की बाइकी सुरक्षा के साथ।
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1700	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्ढेका आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. सुरक्षा हेतु तार की बाइकी जावेगी।
	ग्राम पंचायत आलोनीया प्राथमिक शाला के	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<ul style="list-style-type: none"> गड्ढेका आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

4. Case No. 10001/23 Shri Anil Borasiya, Lessee, R/o B-23, Anand Nagar, District-Ujjain (MP)-456010. Prior Environment Clearance for Expansion Stone and M-Sand in an area of 1.50 ha. (Expansion from Stone-5,820 to Stone 6300, M-Sand-35700) (Khasra No. 149), Village-Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) (EIA)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक अनिल बोरसिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अनिल बोरसिया पिता गयाप्रसाद बौरसिया, निवासी-23, आनन्द नगर, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	149 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.50 हेक्टर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम चकजयरामपुर, तहसील एवं जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 704 / खनिज / 2022-23, दिनांक 16.03.2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/947 दिनांक 19.05.2016 के द्वारा पत्थर-5820घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 42,000 (6300 स्टोन एवं एम.सैण्ड 35,700)घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-42,000 (6300 स्टोन एवं एम.सैण्ड 35,700)घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 953 / खनिज / 2022-23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 20.890 है. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 953 / खनिज / 2022-23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	।
तहसीलदार अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 953/खनिज/2022–23, दिनांक 12.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरसोदन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु. /पंचा/2008, दिनांक 18.08.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • प्रस्तावित खदान में वृक्ष हैं जिनको नहीं काटा जाएगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा – 230 मीटर पर पक्की सड़क है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 115 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	60 प्रतिशत पाई गई

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट ।	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 6300 स्टोन एवं एम.सैण्ड 35,700 घनमीटर/वर्ष है।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि—स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि—स्टोर किया जावें।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 8- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

9. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
10. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
11. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	75,000	15,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट - लंबाई) आदि का विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00 मी के साथ 800मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	7,20,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	5,02,500	50,000
4.	निगरानी एएन्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु 1 दो स्थानों40 वर्ष के लिए,000	-	40,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10,/000कूलर(और रुवर्ष रखरखाव के /2000 . लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(-	34,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500	-	33,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	कार्यकर्ता		
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष $400 = (20*20)$ वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु प्रणाली और रु / 5000 . /2000वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	3,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट वेब साइट विकास एवं (रखरखाव)@ रु5 ,/000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4खदान के प्रवेश द्वार पर () डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि	45,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ (श्रम/ रुपये 500	-	11,000
15	खदान के परिधि में 497 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,48,5500	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 489 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	34,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के 7.50 पुनःभरण किया खुदे हुआ भाग का लंबाई)जायेगाX चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 220 मीटर	1,32,000	-
18	निकट ग्रामचकजयरापुर LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 80	24000	-
19	विन्ड ब्रेकिंग वाल (100मीटर) लगाई जाएगी)@ रु.1000(मीटर/	1,00,000	10,000
20	खदान क्षेत्र में क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	2,50,000	1,00,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	कुल योग	45,68,000	3,83,000
--	----------------	------------------	-----------------

12. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राई रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम चकजयरामपुर में विधालय के अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	2,00,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनमें 280 मीटरकी लम्बाई परएवंकृषि क्षेत्र के कारणमी 25के सेड बैककेसाथ 3 लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (800 मीटर) के दोनों ओर 2लाइनो में4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	800
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेदकस्टार, सिस्सुकला सिरस, सफेद सिरस आदि।	600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीड़बाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No. P2/823/24 VISHAL RATHORE, Lessee, R/o-Pipalrawa, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 1.0 ha. (Stone 3000 m3/Year and M-Sand - 2000 m3/Year) (Khasra No. 823/4 & 827/2/2), Village-Pipalrawan, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (M.P.). (B2)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल राठोर पिता श्री दिनेश राठोर ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री विशाल राठोर पिता श्री दिनेश राठोर निवासी :ग्राम पीपलरावां, तहसील—सोनकच्छ, जिला— देवास (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(निजी भूमि—नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 823 / 4, 827 / 2 / 2	1. 0 Hectare.
स्थल	ग्राम पीपलरावां, तहसील—सोनकच्छ, जिला— देवास (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 4039 / खनिज / 2023–24 दिनांक 15 / 02 / 2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी—2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—3,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सेंड –2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—3,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सेंड –2000घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 14 / खनिज / 2024–25 दिनांक 03 / 04 / 2024 देवास अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रक्बा 1. 0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 14 / खनिज / 2024–25 दिनांक 03 / 04 / 2024 देवास के अनुसार	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 14/खनिज/2024–25 दिनांक 03/04/2024 देवास के अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राजीय सीमा नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर परिषद् पिपलरावा के अनापत्ति पत्र क्रमांक 814/ 23 दिनांक 13.11.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र एवं एम.सेण्ड लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<p>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 08 काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 80
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>दक्षिण—पूर्व दिशा — पक्का रोड 155 मी दक्षिण—पूर्व दिशा में स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्के रोड से 200 मीटर खनन कार्य नहीं किया जावेगा।</p> <p>एक आइसोलेटेड मकान 155 मी दक्षिण—पूर्व दिशा में परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह केवल सामग्री रखने हेतु बनाया गया है एवं इसमें कोई रहवास नहीं करता है।</p> <p>दक्षिण दिशा— उत्थनिपट्टे के दक्षिण में कुछ गड्ढे परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह पूर्व कि खदाने हैं जो कि वर्तमान में बंद हो चुकी है जिनके प्रमाण हेतु उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा पूर्व में स्वीकृत अन्य खदान का स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक 502 दिनांक 24.10.2010 प्रस्तुत किया गया गया जिसके अनुसार दक्षिण में दिख रही अन्य खदान 31.03.2000 से 30.03.2020 तक के लिए स्वीकृत थी।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता –पत्थर—3,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड –2000 घनमीटर/वर्ष
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.53 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
A.	For environment Protection	Capital 1st year	2nd year	Recurrin g
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 450 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And sedimentation tank for M-sand Three of 3m x 2m x 3m each	65,000 60,000	---	15000
3	Development of approach Road (Road length approx. 174 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	87,000	---	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	---	20,000
5	Plantation (1280 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~in periphery of Mine lease boundary (~500 no's)	75000	---	20000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 50 no's on evacuation route up to 174m (approach road) both side (@ Rs 500/tree) 1st year- 50 no's at village temple (@ Rs 150/tree) 2nd year- 600 nos + 80 (Compensation trees) for distribution by nearby villagers @ Rs. 50/tree	25,000 34,000	7500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,000	---	1,000
6.	Fencing of lease area (~507 m long) (@Rs 500/m)	2,53,00 0	---	40000
7.	Curtaining around the crusher unit : total 100 m long (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet) No. of Sheets = 100/2 = 50	50000		2000
8.	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	500
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	60,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	22,000	---	---
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	20000		
17.	Cost for the M-sand plant pollution control equipment	200000		
	Total	1018000	7,500	2,53,500
		10,25,500		2,53,500

3. CER Table

B. सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर पिपलरांवा के बैंक खाते में ग्राम के स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा की जावेगी।
	योग 70,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1280 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे। आमला, कटहल जामुन आम, जामफल, जंगल जलेबी सीताफल आदि	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा कदम्ब आदि।	50
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—संतरा, आमला, नींबू सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि फलदार पौधे।	680
4	ग्राम पिपलरांवा स्थित मंदिर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

6. Case No. P2/824/24 Shri SACHIN PATNI, Partner, M/s S AND S STONE CRUSHER, BADA BAZAR, UNHEL, DIST. UJJAIN MADHYA PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (Stone -19,208 cum per annum & M- Sand-8332 cum per annum) (Khasra No. 61) Village AKYA NAJIK Tehsil Nagda District Ujjain (M.P.). (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SACHIN PATNI, Partner, M/s S AND S STONE CRUSHER, BADA BAZAR, UNHEL, DIST. UJJAIN MADHYA PRADESH.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	61 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village AKYA NAJIK Tehsil Nagda District Ujjain (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 207 दिनांक 21/02/24 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone & M- Sand-27440 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone -19,208 घनमीटर/वर्ष & M- Sand-8332 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 18/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकम 43.500 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 18/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 18/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्या नजिक जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 03/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 18/03/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

7. **Case No. 7421/2020 Shri Rajendra Singh Yadav, Owner, M/s DABAR KHAS STONE (GITTI) QUARRY, Nandu Colony, Shivaji Nagar, Tehsil District-Jhansi (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (14828 to 1,09,115 cum per annum) (Khasra No. 132/3) Village- Dabar Khas, Tehsil-Niwari, District- Niwari (M.P.). EIA**

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक राजेंद्र सिंह यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	राजेंद्र सिंह यादव निवासी नंदू कॉलोनी, शिवजी नगर, तहसील जिला –झाँसी
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	132/3(शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लेंड) नोइयत— पहाड़ Area-2.0ha
स्थल	Village- Dabar Khas, Tehsil- Niwari, District- Niwari (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 16136.138 भोपाल दिनांक 17/08/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डियाकार्यालय, जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, (डिया) जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक डिया/2018,252 दिनांक 10/04/2018 के द्वारा पत्थर-14,828 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 1,09,115 घनमीटर/वर्ष और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर— 1,09,115 घनमीटर/वर्ष
टॉर	ToR Recommended in 453 rd SEAC Meeting dated 28/08/2020. TOR Letter no. 582/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR(453)/2020, dated 06/10/2020
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू 848/2024 निवाड़ी दिनांक 18/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृति 5 अन्य खदान जिसका रकबा 18.3 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू 848/2024 निवाड़ी दिनांक 18/03/2024 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू 848/2024 निवाड़ी दिनांक 18/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाइन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडेम/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सकुली डाबर खस जिला निवाड़ी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02. अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	● लीज में 08 पेड़ हैं। जिनको काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा में नाला रोड 212 मीटर पर दक्षिण पश्चिम में आबादी रोड 451 मीटर पर दक्षिण पूर्व में पक्का रोड 172 मीटर पर (28 मीटरका सेटबैक देते हुए नॉन माइनिंग एरिया छोड़ा गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है।) पश्चिम दिशा में पक्का रोड 382 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-83 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि सिया की 826वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के बिन्दु क्रमांक-9 अनुसार ऐसे सभी डिया प्रकरणों, जिनमें उत्पादन क्षमता भिन्न है को नया प्रकरण मानते हुये विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में खनन कार्य सिर्फ 6 मी. तक ही हुआ है अतः पिट्स में बैंचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में 1240 नये पौधे भी लगाये गये हैं। नरसरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम की नाली एवं सड़क की मरम्मत, निजी टैकर द्वारा पानी की सपलाई, अति पिछड़े एवं गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल ड्रेस कॉपी पेन्सिल बैग आदि का वितरण किया गया है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता— पत्थर—**1.09.115** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
9. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
10. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
11. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
12. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.71 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (in Rs.)	Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	1,00,000		50,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

1 (b)	Cost of water of 2200 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	99,000
2	Garland Drain is proposed (300 x1.5x1.5) Settling tank is 15m x 04m x 1.5 Settling tank is 10m x 04m x 1.5	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (220 m X 5m) @300/sqm	3,30,000	33,000
4	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 150 150 plant/year x Rs.500=75,000/-	2,80,500	28,500
	Plantation in Village @ Rs. 50/plant. Total plantation in village, and Primary School area 1630 (1630 XRs. 50)= 81,500/-		
	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone - 620 620 plant/year x Rs.200=1,24,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water once in a year) for two locations/year	Nil	150,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X1 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	18,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 18 workers+ (2 Extra) =20@ Rs. 1500/worker	30,000	3000
11	Shelter rooms for labors (18*10) =180 Square feet @Rs.800/square ft.	1,44,000	14,400
12	Ten dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 15 trucks @1000/truck	NIL	30,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development &maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37000	-
	Barbed fencing for 1126 m @ 500/meter		1860

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	Wind Breaking Wall (04 meters height of MS Sheet) of 30m crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	nil	nil
16	Vocational Training for 43 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	21,500
17	LED bulb distribution	1,00,000	-
18	Required soil (210 cum) will be purchased from local market @ 100 Rs/cum =210x 100	21300	-
	Total	14,28,800/-	4,71,260/-

13. सी.ई.आर. मद मे निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. मे प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष मे पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.मे)
ग्राम डाबर के ग्रामवासियों के लिए साल मे दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाया जायेगा।	30,000 /—
डाबर खास गांव के ग्रामवासियो के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते मे योगदान राशि जमा प्रथमवर्ष मे किया जायेगा।	50,000 /—

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या मे)
1	बैरियर जोन गैर-खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	620
2	बाबई के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मे वृक्षारोपण	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	20
3	डाबर खास, डाबर भाटा, डाबर जंगल ग्रामवासियो मे वितरण हेतु	बेल, मुनगा इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा इत्यादि।	1610
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	150

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड इंग तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गेंव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

8. Case No. P2/825/24 Shri KULDEEP PATIDAR, Lessee, R/o- Gangakhedi, Tehsil-Sitamau, District- Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (Stone Gitti-12,000 m3/year, M-Sand-12,000 m3/year & Murrum- 6,000 m3/year) (Khasra No. 6) Village - Saraspura, Tehsil- Sitamau, District- Mandsaur (M.P.). (TOR) [MIN/468467/2024] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri KULDEEP PATIDAR, Lessee, R/o- Gangakhedi, Tehsil- Sitamau, District- Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	6(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.90 hectare.
स्थल	Village - Saraspura, Tehsil- Sitamau, District- Mandsaur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 06/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone Gitti-12,000 m3/year, M-Sand-12,000 m3/year & Murrum- 6,000 m3/year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone Gitti-12,000 m3/year, M-Sand-12,000 m3/year & Murrum- 6,000 m3/year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 482 दिनांक 15/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 06.60 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 482 दिनांक 15/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 482 दिनांक 15/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लसूडिया जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक 27/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

9. Case No. P2/830/24 Shri Govind Samadhiya, R/o-Ward no. 07, Hajareshwar Colony, Shivpuri Road Sheopur, M.P 476337 Prior Environment Clearance for Soikalan Soil Quarry (For Bricks Manufacturing) Khasra No. - 121/1, 121/2, 122, (Private Land) Lease Area - 1.00 ha., Capacity - 2,000 M3/Year. Village Soikalan, Tehsil Sheopur, District- Sheopur (M.P.). B2 Case. [MIN/468461/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22. 05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द समाधिया पिता श्री बद्री प्रसाद समाधिया ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	श्री गोविन्द समाधिया पिता श्री बद्री प्रसाद समाधिया

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

का नाम व पता	निवासी :वार्ड क्रमांक 07, भोई मोहल्ला, हजारेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी रोड, जिला—श्योपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(निजी भूमि –नॉन फॉरेस्ट लेंड) खसरा नं. 121/1,121/2, 122	1. 0 Hectare.
स्थल	ग्राम सोईकलां, तहसील—श्योपुर, जिला— श्योपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के सैधांतिक पत्र क्र खनि/3—6/क्यू.एल/62/2023/3616 दिनांक 04 / 03 / 2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी—2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी –2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मिट्टी –2,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक खनि/3—6/क्यू.एल/62/2024/4031 दिनांक 13 / 03 / 2024 श्योपुर अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 1.0 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक खनि/3—6/क्यू.एल/62/2024/4031 दिनांक 13 / 03 / 2024 श्योपुर के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक खनि/3—6/क्यू.एल/62/2024/4031 दिनांक 13 / 03 / 2024 श्योपुर के अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राजीय सीमा नहीं है	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत सोईकलां के अनापत्ति पत्र क्रमांक 15 दिनांक 26. 01.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
केशर की स्थिति	लागू नहीं है।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>दक्षिण दिशा – कच्ची सड़क खदान से लगभग 5 मीटर दक्षिण में है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार कच्चे रास्ते से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं 45 मीटर तक का सेटबैक छोड़ा गया है।</p> <p>पूर्व दिशा – उत्थनिपट्टे से 90 मीटर कि दूरी पर एक पक्की रोड परिलक्षित हो रही है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्की रोड से 10 मीटर सेटबैक छोड़ा गया है पक्की रोड से 100 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा और चूंकि यह एक मिट्टी की खदान है इसलिए ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी ।</p> <p>2. खदानसे लगभग 105मीटर पूर्व में कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चूंकि यह एक मिट्टी की खदान है इसलिए कोई ब्लास्टिंग नहीं कि जाएगी इस किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाएगा ।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता –मिट्टी –2,000 घनमीटर / वर्ष
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि खामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि खामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
 उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.49 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	For environment Protection	Capital 1st year	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 400 m Long) 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	50,000	10,000
3	Contribution in development & maintenance of existing Road length approx 100m (@Rs 500/m) and maintenance Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m)	50,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	20,000
5	Total Plantation 1200 trees A. Within Lease Area (In Barrier Zone) & Non Mining zone @150rs./tree 1st year -up to 470 m periphery of Mine lease boundary (550 nos)	82,500	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year-50 nos on evacuation route up to 100 m both side (@ Rs 500/tree) 1st year-550 nos distribution to villagers (@Rs 50/tree) 2nd year- 50 no's at anganwadi @Rs 150 (as fencing & boundary wall is present these place)	25,000 27,500 7,500	15,000
	Sowing of the Dhatkumari slips, Prosobis seeds & Agew along the excavated garland drain.	10,000	2,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

6.	Wire Fencing (470 m long) @ ~Rs 500/m	2,35,000	10,000
8.	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 10 ft.) with solar light	60,000	5,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000)	16,000	4,000
13	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	10,000	2,000
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 100 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	10,000	
	Total	6,30,500	1,49,500

3. CER Table

B.	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि
1.	सोईकलां आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बैंक खाते में ग्राम के स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।
	योग 30,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस. आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल, आवला,	550

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		नीम, सीताफल आदि।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल आदि।	50
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।	550
4	ग्राम में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P2/826/24 Shri GULAB BAGHEL, Lease Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur, State-Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.8 ha. (25,155 cum per annum) (Khasra No. 26 Part) Village-Khurshi tehsil-Jabalpur, district-Jabalpur (M.P.). (DEIAA-Re-appraisal)] TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजिआबाद, उ.प्र. (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri GULAB BAGHEL, Lease Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur, State-Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	26 Part(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.8 hectare.
स्थल	Village-Khurshi tehsil-Jabalpur, district-Jabalpur (M.P.).	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 2435 दिनांक 29/12/15 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA-Re-appraisal.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 06/06/16 के द्वारा पत्थर—40,640 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—25,155 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—25,155 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 16.53 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—5 दिनांक 29/11/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—46 के सरल क्रमांक—86 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

11. Case No. P2/836/24 Nihal Kathota, Proprietor, SHREE AMBE STONE CRUSHER MEGHNAGAR, R/o- Village- Rambhapur, Tehsil- Meghnagar, District- Jhabua(M.P). Prior Environment Clearance for M-Sand in an area of 2.00 ha. (M-Sand – 19000 m3/Year) (Khasra No. 431/min-2), Village- Anantkhedi, Tehsil- Petlawad, Dist.- Jhabua, (M.P.) (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नयी पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री निहाल कठोटा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Ambe Stone Crusher Partner- Shree Nihal Kathota R/o-Village Rambhapur, Meghnagar, Jhabua (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	431/min-2, (Govt. land), (शासकीय भूमि—नॉन फॉरेस्ट लैंड,)	2.00 Ha
स्थल	Village- Anantkhedi, Tehsil- Petlawad, Dist.- Jhabua, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यलाय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ मध्य प्रदेश के पत्र 1168 / खनिज / 2023 दिनांक 19 / 12 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल एम- सेण्ड- 19,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार एम- सेण्ड- 19,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाझाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 29 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, कुल क्षेत्र 4.00 हेक्टेयर है। अतः यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाझाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 29 / 12 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाझाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 29 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नाला 250मीटर, ग्रामीण मार्ग 50मीटर, नदी 500मीटर जलाशय 600मीटर की दूरी पर स्थित है तथा अन्य कोई मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान,	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ पक्का रास्ता नहीं है । आवेदित क्षेत्र से नाला लगभग 250 मीटर नदी लगभग 500 मीटर जलाशय लगभग 600 मीटर दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अनन्तखेड़ीजिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव 31 दिनांक 16/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत कोई आपत्ति नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित हैं तथा एम सैंड बाहर लगेगा।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ कुल 14 पेड़ है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई पेड़ काटे नहीं जायेंगे ।
गूगल ईमेज के अनुसार खदान की वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— कच्ची सड़क 295मी. की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा — प्रकृतिक नाला 140 मी. की दूरी पर स्थित है। दक्षिण— पश्चिम दिशा— पक्की सड़क 408 मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 29/12/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर ली जायेगी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडब्ल्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता एम— सेण्ड— 19,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्लान्ट प्रस्तावित है।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्षेत्र प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14,64,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 5,42,450/- प्रति वर्ष ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road and water fogging system for dust suppuration.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 4000ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,80,000
2	Garland Drain is proposed (221mx 1.5mx1.5m) Settling tank is 15m x 4m x 1.5 (03no.)	1,00,000	10,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (164mx 5m) @300/sqm	2,46,000	24,600
4	Barbed fencing (746m x Rs.300)	2,23,000	22,300
5	Plantation within 7.5 barrier zone & Non-mining area @ Rs. 200/plant Total plantation -550+360=910 plants for One year 910 xRs.200= Rs. 1,82,000/-	279,000	27,900
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation - 50plants for one years 50xRs.500= Rs 25,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 1440 Plants for one		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	(1440XRs. 50)= Rs. 72,000/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 15-16 labour @ Rs.10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	10,000
9	Medical Check-up for 15-16workers @500/worker (twice in a year)	NIL	15,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	50,000	5,000
11	PPEs for other mining operations for 15 workers@ Rs. 1500/worker	22,500	2,250
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	1,29,000	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	10,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	NIL	6,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display	37,000	NIL

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.		
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	1,50,000	15,000
18	Vocational trainings for 15 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	7,500
19	Adoption of trees for carbon sequestration	80,000	-
	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission.	20,000	-
	Total	14,64,000/-	5,42,450/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अंनतखेड़ीपालक शिक्षक संघ के खाते में अधो संरचना विकास हेतु राशि प्रथम वर्ष में जमा की जावेगी ।	रु 1,00,000 /—
ग्राम अंनतखेड़ी में एक नया हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष में करवा दिया जाएगा ।	रु 60,000 /—
योग	रु 1,60,000 /—

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	550
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	360
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	सारंगी में नवनिर्मित मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, सीताफल, मुनगा, अमरुद।	500
2	अंनतखेड़ी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	940

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव /
मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर
स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का
वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए
पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को
पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**12. Case No. P2/827/24 Shri PRAMOD JAIN, Owner, Ward No.- 10, Sagar Road,
Near Para Kanera School, Badamalehra, Bada- Malehra, Badamalehra,
Chhatarpur, Madhya Pradesh, 471311. Prior Environment Clearance for Stone
Mine in an area of 4.00 ha. (Stone-18,182 cum per annum & M- Sand- 2,020 cum**

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

per annum) (Khasra No. 270) Village alaiya Bineka, Tehsil- Banda, District-Sagar (M.P.). (B2)

प्रस्तावित पत्थर खदान एवं एम. सैंड बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र छोटेलाल जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pramod Kumar Jain S/o Shri Chotelal Jain R/o- Ward No.10, Near Kanera vidhyalaya Bada Malahara, District – Chhatarpur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	270 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड)		4.00 hectare.
स्थल	Village- Salaiya Bineka ,Tehsil – Banda, District - Sagar (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1546 दिनांक 11/10/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 03/11/2023, क्षमता पत्थर खदान –2,020 घनमीटर/वर्ष, एम—सैंड – 18,182 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम— सलैया बिनेका, दिनांक— 13/02/2024		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—2,020 एम.सैड— 18,182 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 2,020 एम.सैड— 18,182 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1689 दिनांक 29/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी— 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1689 दिनांक 29/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 2 किलो मीटर में वन क्षेत्र स्थित है। किन्तु 10 कि. मी. की परिधि में नवीन अभ्यारण प्रस्तावित हैं। एवं उत्खनन पट्टा क्षेत्र वन सीमा से 2.0 किलोमीटर दूर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1689 दिनांक 29/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सलैया बिनेका, जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 05/11/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा — मावन बसाहट लगभग 222 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व दिशा — नहर लगभग 427 मीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण दिशा — नहर लगभग 230 मीटर की दूरी पर स्थित है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	पश्चिम दिशा – उत्तर पश्चिम में मावन बसाहट लगभग 25 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जिससे 75 मीटर का सेटबेक दिया गया है। दक्षिण पश्चिम में इलेक्ट्रिक पोल लगभग 60 मीटर कि दूरी पर है जिससे 40 मिटर का सेटबेक दिया गया है। जिस कारण माईनिंग एरिया 3.4265 है एवं नॉन माईनिंग एरिया 0.6998 है है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	06 / 04 / 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –2.020 एम.सैड— 18,182 घनमीटर / वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्लेशर प्लान्ट / एम.सैड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्लेशर प्लान्ट / एम.सैड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.56 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	62,325	-
1(b)	Water requirement- 1.385 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (148 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

PLANTATION SCHEME		5,70,000	15,000
a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-		
b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 Rs=1,50,000/-		
c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 789 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	1,00,185	5,000
5	Wire fence (784 m) @200 rupees/meter.	1,56,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 18 Labors -18 × 500 × 2)	-	18,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 18 workers - 18 × 1500)	27,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	1. Slurry Management Equipment: A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 × 2) Rs.1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 D) 2 Water Pump (i.e 20,000 × 2) Rs. 40,000	3,10,000	20,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (740 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	74,000	
19	Crusher & M Sand Equipment's for Dust control	1,00,000	15000
	TOTAL	17,42,310/-	1,56,000/-

14. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सलैया—बिनेका के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,40,000/-

1. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
योग			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेप्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P2/837/24 PRABHA KALWA, 07, Owner, Yashwant Marg, Mahidpur, Dist.-Ujjain(MP). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 0.750 ha. (Stone (Gitti) – 3500 m3/Year) (Khasra No. 571/1), Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, Dist. Neemuch (Madhya Pradesh) [MIN/468662/2024] (B2)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रभा चौधरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति प्रभा चौधरी पति श्री लोकेन्द्र सिंह चौधरी, निवासी -7, यावन्त नगर, महिदपुर, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	571/1 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 0.750 हेक्टरेर निजीभूमि
स्थल	ग्राम बन्जरी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 639 / खनिज / 2016-17, दिनांक 11.03.2017 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है। रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/2012 दिनांक 17.10.2016 के द्वारा पत्थर-3500घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-3500घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-3500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10493 / खनिज / 2023-24, दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	0.750हे. होता है, अतः प्रकरण B2श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10493/खनिज/2023–24, दिनांक 21.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10493/खनिज/2023–24, दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे अन, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बजारी, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 30.05.2009अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदान में 02 वृक्ष हैं जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – 125 मीटरपर पक्की सड़क है पश्चिम दिशा – 6 मीटर पर हॉलेज रोड है खदान के पूर्व एवं दक्षिण दिशा मैंकृषि क्षेत्र होने के कारण 25मी का सेड बैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 17 के सरल क्रमांक– 2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	40 प्रतिशत पाई गई
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	25 पौधे लगाए गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

इस प्रकरण में को समिति ने परीक्षण के दौरान पाया प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान निजी भूमि पर आवंटित है जबकि माईनिंग प्लान में बताया गया है कि खदान शासकीय भूमिपर आवंटित है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खनिज अधिकारी से प्रमाणित करतथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें।

**14.0 Case No. P2/831/24 Shri Upendra Singh Yadav, , M/s Partner M/s JMK GROUP
R/o- Rajpura Road Infront of Radhakrishna Mandir Shivpuri, District-Shivpuri,
M.P - 473551, Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production
capacity of Khanda - 3,000 m³/year, Boulder 5000 m³/year & Murrum- Max.
15,000 m³/year having a lease area of 3.00 hectares, at Khasra No. 2305, 2359
(Govt. land) Village - Tongra Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.). ToR
(TOR)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति कराए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Upendra Singh Yadav, , M/s PartnerM/s JMK GROUP R/o- Rajpura Road Infront of Radhakrishna Mandir Shivpuri, District-Shivpuri, M.P - 473551,Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of Khanda - 3,000 m ³ /year, Boulder 5000 m ³ /year & Murrum- Max. 15,000 m ³ /year having a lease area of 3.00 hectares, at Khasra No. 2305, 2359 (Govt. land) Village - Tongra Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.). ToR Case. (DEIAA to SEIAA.SIA/MP/MIN/468596/2024.														
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. — 2305, 2359,	एरिया —3.00 ha.,	शासकीय भूमि												
परियोजना स्थल	Village - Tongra Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).														
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of Khanda - 3,000 m ³ /year, Boulder 5000 m ³ /year & Murrum- Max. 15,000 m ³ /year having a lease area of 3.00 hectares, at Khasra No. 2305, 2359 (Govt. land) Village - Tongra Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).														
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 34 दिनांक 11/03/2024.														
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.														
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।														
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	NA.														
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।														
उत्पादन क्षमता	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th><th>Capacity</th><th>Unit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Murrum</td><td>15000</td><td>Cubic meter per year</td></tr> <tr> <td>Khanda</td><td>3000</td><td>Cubic meter per year</td></tr> <tr> <td>Stone(Boulder)</td><td>5000</td><td>Cubic meter per year</td></tr> </tbody> </table>			Product	Capacity	Unit	Murrum	15000	Cubic meter per year	Khanda	3000	Cubic meter per year	Stone(Boulder)	5000	Cubic meter per year
Product	Capacity	Unit													
Murrum	15000	Cubic meter per year													
Khanda	3000	Cubic meter per year													
Stone(Boulder)	5000	Cubic meter per year													
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 504 दिनांक 27/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 06.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।														
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 504 दिनांक 27/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।														
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 504 दिनांक 27/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।														

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – टोंगरा, जिला – शिवपुरी द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0 05 दिनांक 23/01/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल / वायु सम्मति	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के पत्र क्रमांक 505 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्मिलित का लिया जावेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

15. Case No. 10006/23 Shri Sanjay Mehta, Lessee, R/o 25, Namak Mandi, District-Ujjain (MP)-456010. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 3.40 ha. (Stone-28000, M-Sand-42000 cum per year) (Khasra No. 210, 211), Village ChakjyarampurTehsil- & Distt. Ujjain (MP) [MIN/468740/2024] (EIA)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक सजंय मेहता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मैसर्स सजंय मेहता सप्लायर्स एण्ड करियर्स, निवासी – नमकमण्डी, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	210, 211 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.40 हेक्टर निजी भूमि
स्थल	ग्राम चकजयरामपुर, तहसील एवं जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 15794-96/खनिज/उ.प. / न.क.-21 / 2022, दिनांक 21.12.2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ब्रेकर	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 28000, एम.सैण्ड.—42000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 28000, एम.सैण्ड.—42000घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1425/खनिज/2023–24 दिनांक 09.06.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 19.69हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1425/खनिज/2023–24 दिनांक 09.06.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1425/खनिज/2023–24 दिनांक 09.06.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आगान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ग्रील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेन, दूरद र्नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरसोदन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु/पचां/2021 दिनांक 30.11.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदानमें 01 वृक्ष हैं जिनको नहीं काटा जाएगा

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदान के चारों तरफ कृषि क्षेत्र होने के कारण 7.50मी सहित 25 मी सेटबैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा
जन सुनवाई	<p>12 जनवरी 2024 को जनसुनवाई हुई</p> <p>समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषाष्ट शर्तों एवं स्टेपडब्ल्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— 28000, एम.सैण्ड. –42000घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
8. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
9. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

10. पिट्स में बैंचेस / बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
11. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 12- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

13. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	1,00,000	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्प्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 650मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	5,85,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	6,47,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/69,000	-	1,38,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 .,/000कूलरऔर (वर्ष रखरखाव के लिए।/2000 .रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(-	27,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण	50,000	4,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	@25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।		
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	40,500
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष $400=(20*20)$ वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,/000खननवेब कैमरा , (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 () खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000 आदि	45,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	13,500
15	खदान के परिधि में 750 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(3,75,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 659 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	42,000	10,000
17	विन्ड ब्रेकिंग वाल (100मीटर) लगाई जाएगी)@ रु.1000(मीटर/	1,00,000	10,000
18	निकट ग्रामचक्कजयरापुर LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 100	30,000	-
19	खदान क्षेत्र में क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	2,50,000	1,00,000
20	कुल योग	22,99,000	4,50,000

14. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम चकजयरामपुर में विघालय के अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	1,60,000

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4100 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी 7.50 मीटर(740 मीटर) पर एवंकृषि क्षेत्र के कारणमी 25के सेड बैककेसाथतीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू इमली, कटहल, सीताफल आदि	1000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (650 मीटर) के दोनों तरफ दो लाईनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	650
3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे ग्राम सुवाखेडा	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू इमली, कटहल, सीताफल आदि	2450

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

16. Case No. P2/828/24 Smt. FULEY JAWARKAR, LEESSEE, Dhar Khamla, Betul Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.969 ha. (23,702 cum per annum) (Khasra No. 24/2) Village - Pagadori, Tehsil-Bhainsdehi & District – Betul (M.P.) (DEIAA- Re-appraisal)] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति फुलेय जावरकर पत्नि श्री सूरजलाल जावरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		श्रीमति फुलेय जावरकर पत्नि श्री सूरजलाल जावरकर धार, तहसील भैंसदेही, जिला बैतुल (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	24/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेड)	1.969 हे.
स्थल		ग्राम पागाडोरी, तहसील भैंसदेही, जिला बैतुल (म.प्र.)
लीज स्वीकृति		कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1393, दिनांक 24/07/2018 के द्वारा स्वीकृत । 10 वर्ष (14/08/2018 – 13/08/2028)
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डियाकार्यालय, जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, (डिया) जिला बैतुल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 23/डिया/2018, दिनांक 07/05/2018 के द्वारा पत्थर–23,702 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–23,702घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 23,702 घनमीटर/वर्षहै ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाबैतुल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1756 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1756 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतुल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1756 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्र (पवन चक्की) 500 मीटर की परिधि में है । अन्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देड़पानीजिला बैतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 02/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 1 पेड़ है, वृक्ष को काटा जायेगा एवं उनके स्थान पर नीम के 10 गुना अर्थात् 10 वृक्ष अतिरिक्त लगाये जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—रोड 407 मी. । दक्षिण दिशा—पवन चक्री 410 मी. पर हैं। पूर्व दिशा—नहीं हैं। पश्चिम दिशा—नाला 278 मी. पर हैं।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक-95 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में खनन कार्य सिर्फ 3 मी. तक ही हुआ है अतः पिट्स में बैंचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में 500 नये पौधे भी लगाये गये हैं। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता - 23,702 मी.³
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्रस्तावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 15,10,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,86,000/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
1 (b)	Cost of water of 4000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days),	Nil	1,80,000	
2	Garland Drain is proposed(576m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000	
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 576	2,88,000	5,000	
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1800 x Rs.200 Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500 Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (500 X Rs. 50)	4,35,000	20,000	
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm			
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year			
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30 -40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainence.	30,000	3000	
9	Occupational Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	18,000	
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainence.	50,000	2000	
11	PPEs for other mining operations for 18 worker@ Rs. 1500/worker	27,000	5000	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

12	Shelter rooms for labors (20*10)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	1,60,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainence.	10,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck	-	5,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainence (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5,000
17	VT Trainings for 18workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	-	9000
18	For reduction of carbon emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
Total		15,10,000	3,86,000

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पागाडोरी में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	60,000 / –
उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिरसू, चिरोल, बॉस, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन,	500

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।		

17. Case No. P2/832/24 Shri Sattendra Bhaghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, (M.P.)- 486885. Prior Environment Clearance for Makrohar Stone Quarry, Khasra No. - 1103 Part, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 22,147 Cum/Year, Village - Makrohar, Tehsil - Mada, District -Singrauli (M.P.). B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह बघेल ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सत्येन्द्र सिंह बघेल पिता श्री राजेन्द्र सिंह बघेल निवासी एम. आई. जी. 164, नवजीवन विहार, पोस्ट विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. 1103 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village-Makrohar Tehsil -Mada, District-Singrauli (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 317 / उ.प. / खनिज / 2019 दिनांक 15 / 01 / 2019 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 15 / DEIAA / उ.प / 2016 दिनांक 30 / 05 / 2016 के द्वारा पत्थर-22147 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 22147घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 22147	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	घनमीटर / वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3616/खनिज/ए.प्र.प./2023 दिनांक 14.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य 2 खदानें संचालित/स्वीकृत हैं इस प्रकार कुल रकबा 4.89 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3616/खनिज/ए.प्र.प./2023 दिनांक 14.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3616/खनिज/ए.प्र.प./2023 दिनांक 14.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आबादी एवं अन्य संस्थान 100मी. से अधिक दूरी पर है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मकरोहर जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02दिनांक 02.10.2008 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या—3 काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या—30
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिणपश्चिम दिशा – उत्तरानि पट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 75 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क स्थित है जिसके सम्बंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कीपककी सड़क से 25मीटर (सेट बेक) तक कोई खनन प्रस्तावित नहीं है। 100मीटर के बाद रॉक—ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा। जिसके लिए संशोधित खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली में सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत संसोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगी
	उत्तर पश्चिम – पोल्ट्री फार्म –210 मी. कुछ कच्चे मकान –210 मी. पूर्व – आबादी–260मी. दक्षिण पूर्व— कच्चा रास्ता –110मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक–122 पर दर्ज है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739 वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशासित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

परियोजना प्रस्तावक नेबताया गया कि वर्तमन में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया की उनके द्वारा संशोधित खनन योजना रॉक-ब्रेकर परसक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौलीमें सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत संसोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगी उसके उपरांत ही उनके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 35प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 50 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता —Stone – 22147 m³/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की ब्लास्टिंग रहित रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य हेतु संशोधित खनन योजना अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 8.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.80 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>	Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 850 m Long) <ol style="list-style-type: none"> 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,15,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 270 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where	81,000	5,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	the approach road meets the main road.		
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2430 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~920m periphery of Mine lease boundary (900 nos.)	1,35,000	40,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 1380 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 69,000	
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 124 Cubic meter soil needed for no. of 1000 trees	12,400	-
6	Total Wire Fencing = (~920 m long) - {35% completed=276 m} (65% Remaining to be installed = 644 m @500 Rs./m)	3,22,000	25,000
7	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	8,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety	16,000	5,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.		
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	30,000	
17.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	20,000	50000
	Total	9,10,000	1,80,500

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मकरोहर के विद्यालय के बैंक खाते में विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 6 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	70,000/-
कुल	70,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— नीम , खमेर , कालासिरिस, सिरसू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	900
2	खदान क्षेत्र के परिवहन	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—	100

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	मार्ग के दोनों ओर	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	
3	ग्राम मकरोहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1380
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. P2/784/24 Shri NARENDRA SINGH, Lessee, VPO-ingoriya, tehsil Badnagar, Ujjain. Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 1.0 ha. (Murrum – 9000 cum per annum) (Khasra No. 1), Gram Sikandar Kheda, Tehsil – Badnagar, Distt. Ujjain (M.P.) (B2)

प्रस्तावित खदान B2 जिसमें आज दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक नरेन्द्र सिंह सौलंकी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नरेन्द्र सिंह सौलंकी पिता श्री गणपत सिंह सौलंकी, निवासी – ग्राम इगोरिया, बड़नगर, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	01 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम सिकन्दरखेड़ा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 15331-37 / खनिज / उ.प. / न.क. 23 / 2022, दिनांक 05.10.2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम— 9000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम—9000घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 87 / खनिज / 2023-24, दिनांक 09.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रक्बा 4.80 है. होता है, अतः प्रकरण B2श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 87 / खनिज / 2023-24, दिनांक 09.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 87 / खनिज / 2023-24, दिनांक 09.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रुदाहेडा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु. /पंचा/98/2021, दिनांक 14.02.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदान में 10 वृक्ष हैं जिनको नहीं काटा जाएगा
प्रस्तावित स्थल की	उत्तर दिशा -20 मीटर पर हॉलेज रोड है

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा – 95 मीटरपर पक्की सड़क है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुररम— 9000घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत	आवर्ती लागत
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	10,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	70,000	10,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्प्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900 मी के साथ / 250मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	2,25000	50,000
3.	वृक्षारोपण	2,25000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शौर और पानी साल में दो बार (@ रु. दो स्थानों40 वर्ष के लिए,/000	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ,/000कूलरऔर (वर्ष रखरखाव के लिए।/2000 .रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(-	8,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

9	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	12,000
10	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष $400=(20*20)$ वर्ग फुट	50,000	5,000
11	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,/000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 () खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि	55,000	4,000
14	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	4,000
15	खदान के परिधि में 400की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,00,000	20,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 350 मीटर Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	25,500	10,000
17	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्रामखेड़ा मैंडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @300/LED X 120	36,000	-
	कुल योग	8,30,500	2,69,000

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रुपाहेड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनमें	नीम, पीपल, करंज, चिरोल,	300

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	400 मीटरकी लम्बाई पर तीन लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा)	जंगल जलेबी, खमेर, सिसू आदि।	
2	पहुंच क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(250 मीटर) के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	250
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	650
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. P2/802/24 Shri RANJEET KHARE, Owner, S/o, Iakhan bihari khare, c.v raman wardn babuji nagar barapatthar seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.85 ha. (39,900 cum per annum) (Khasra No. 4) Village – Kuklah, Tehsil & District – Seoni (M.P.). (DEIA A-Re-appraisal)] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए** और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RANJEET KHARE, Owner, S/o, Iakhan bihari khare, c.v raman wardn babuji nagar barapatthar seoni (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	4 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.85 hectare.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

स्थल	Village – Kuklah, Tehsil & District – Seoni (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 923 दिनांक 05/07/1 के द्वारा स्वीकृत है।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	Re-appraisal.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सिवनी के पत्र क्रमांक 1448 दिनांक 05/10/18 के द्वारा पत्थर–39,900 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–39,900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–39,900 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 578 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 11.45 है। होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 578 दिनांक 17/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सॉसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 578 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुकलाह जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–13 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–91 के सरल क्रमांक–85 पर दर्ज है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

20. Case No. P2/833/24 Shri Shyamlal Jayswal, R/o-Village-Sarai, Post- Sarai, Tehsil- Sarai, District- Singrauli, M.P 486181. Prior Environment Clearance for Jhara Stone Quarry, Khasra No. - 3130/1] Lease Area- 4.00 ha., Proposed Production Capacity – 42,591 Cum/Year, Village Jhara, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/464168/2023] (ToR), Form-2 DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Shyamlal Jayswal, R/o-Village-Sarai, Post- Sarai, Tehsil- Sarai, District- Singrauli, M.P 486181. Prior Environment Clearance for Jhara Stone Quarry, Khasra No. - 3130/1] Lease Area- 4.00 ha., Proposed Production Capacity – 42,591 Cum/Year, Village Jhara, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). <u>ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA</u> . SIA/MP/MIN/464168/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-3130/1,	एरिया-4.00 ha., शासकीय भूमि,
परियोजना स्थल	Village - Jhara, Tehsil -Sarai, District - Singrauli (M.P.).	
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 42,591 cubic meter per year stone having a lease area of 4.0 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 3130/1, Village Jhara, Tehsil Sarai, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 3987 दिनांक 01/11/2023.	
टॉर स्थिति	प्रस्तावित.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting,	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय जिला- सिंगरौली के पत्र क्रमांक 145 दिनांक 06/10/2016 के द्वारा स्टोन -41,496घनमीटर/ वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उत्पादन क्षमता	● स्टोन -42,591घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –सिंगरौलीके एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2738 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदाने स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 12.656है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2738 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2738 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद/नगर पालिका निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र	कार्यालय ग्राम पंचायत-झारा जिला –सिंगरौली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. – दिनांक 14/04/2011 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Date of consent issued 26/07/2022, Validity of consent (Valid up to) 26-06-2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 62 के सरल क्रमांक-176 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 / 2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

21. Case No. P2/789/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti Stone in an area of 3.0 ha. (Stone (Gitti) – 50000 m3/Year, OB -22404 m3/Year) (Khasra No. 1/1 Min-2 & 1/2 Peki), Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [MIN/466870/2024] (ToR)

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावितस्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1/1 Min-2 & 1/2 Peki (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.0 hectare.
स्थल	Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.)
लीज स्वीकृति	(कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1962 दिनांक 06/10/2023 श्री जयदीप उदावत से करण सिंह ठाकुर के नाम अंतरण किया गया है)
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 112 दिनांक 26/12/2017 के द्वारा पत्थर-12500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 50000 m3/Year घनमीटर /वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone (Gitti) – 50000 m3/Year , OB -22404 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5139 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित /स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.79 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5139 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5139 दिनांक 19/3/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता 10 मीटर से दूर
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चापड़ा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 18 दिनांक 15/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रत्नाम के पत्र क्रमांक 5141 दिनांक 19/3/2024। इस खदान का विवरण देवास जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.22 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>
----------------------------------	---

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेणडर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

22. Case No. P2/834/24 Smt. Seema Jaiswal, W/o Shyamlal Jaiswal R/o-Village- Sarai Post- Sarai, District- Singrauli, M.P - 486881. Prior Environment Clearance for Katheri Stone Quarry, Khasra No. - 1328 Part, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 22,140 Cum/Year, Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District – Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/463997/2024] ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Seema Jaiswal, W/o Shyamlal Jaiswal R/o-Village- Sarai Post- Sarai, District- Singrauli, M.P - 486881. Prior Environment Clearance for Katheri Stone Quarry, Khasra No. - 1328 Part, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 22,140 Cum/Year, Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District – Singrauli (M.P.). ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA. SIA/MP/MIN/463997/2024.	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-1328 Part,	एरिया-2.00 ha., शासकीय भूमि,
परियोजना स्थल	Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.).	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 22,140 cubic meter per year Gitti having a lease area of 2.00 hectares , previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 1328 Part Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
संधातिक सहमति	पत्र क्र. 1795 दिनांक 25 / 04 / 2017.
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय जिला- सिंगरौली के पत्र क्रमांक 183 दिनांक 31 / 03 / 2017 के द्वारा स्टोन -27,185घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	● स्टोन -22,140घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -सिंगरौलीके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 02 / 08 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 17.43हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 02 / 08 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 02 / 08 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्/ नगर पालिका निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र	कार्यालय ग्राम पंचायत- पोड़ी जिला -सिंगरौली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. - दिनांक 15 / 08 / 2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Date of consent issued 26/07/2022, Validity of consent (Valid up to) 26-06-2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 36 के सरल क्रमांक - 57 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30 / 04 / 2024 एवं सेक की 753 वीं

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

23. Case No. P2/787/24 RITU SHRIDHAR, Lease owner, Kishanpuri, district-jhabua(M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.740 ha. (Stone – 5335 m3/Year) (Khasra No. 822/3), Village -Piliya Khadan, Tehsil-Jhabua, District -Jhabua [MIN/463286/2024] (B2)

प्रस्तावितपत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Ms. **RITU SHRIDHAR**, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Pvt Ltd** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	RITU SHRIDHAR, Lease owner, Kishanpuri, district- jhabua(M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	822/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.740 hectare.
स्थल	Village -Piliya Khadan, Tehsil-Jhabua, District -Jhabua	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 962 दिनांक 20/12/2016 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 70 दिनांक 10/11/2016 के द्वारा Stone – 5335 m3/Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 5335 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone – 5335 m3/Year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 4.99 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 10	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित क्षेत्र से नाला 150 मीटर की दूरी पर एवं पक्का रास्ता लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिलिया खदान जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 19 दिनांक 26/11/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 02/01/2024 अनुसार डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा।

PP submitted that I would like to inform you that as per DEIAA EC letter the area is 1.76ha. and production capacity is 5,335 cum/year. (Annexure-A) and as per scheme of mine closure plan the area is 1.74ha. the production capacity is 5,335 cum/year (The area specified in the mine closure plan and the DEIAA EC letter differ, so we have submitted for mining of mineral of minor mineral of mine lease (0-5HA.)-Form 2 as new application for re-appraisal under ministry OM dated 28.04.2023 in parivesh portal 2.0 for environmental clearance), Accordance with clause 09 of the DEIAA policy decision(Annexure-D) made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23.1.2024, our case is to be considered as a new case.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

24. Case No. P2/829/24 Shri PRAVIN RICHHARIYA, Proprietor of M/S Dhanya Stone Crusher, R/o- H.No. 08, Jain Mandir Gali, Pantnagar Ward Sagar, District-Sagar, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (M-Sand-4447 cum per annum & Gitti-4940 cum per annum) (Khasra No. 365/1) Village Talchiri, Tehsil Sagar, District Sagar (M.P.) [MIN/463955/2024 (DEIAA-New)] TOR

प्रकरण में आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri PRAVIN RICHHARIYA, Proprietor of M/S Dhanya Stone Crusher, R/o- H.No. 08, Jain Mandir Gali, Pantnagar Ward Sagar, District-Sagar, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	365/1(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Talchiri, Tehsil Sagar, District Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 173 दिनांक 14/02/17 के द्वारा स्वीकृत एवं पत्र क्रमांक 928 दिनांक 19/05/22 के द्वारा एम सेंड जोड़ा गया।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सागर के पत्र क्रमांक 246 दिनांक 28/06/18 के द्वारा पथर-4,940 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता M-Sand-4447 घनमीटर/वर्ष एवं Gitti-4940 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता M-Sand-4447घनमीटर/वर्ष एवं Gitti-4940 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 449 दिनांक 13/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

खदाने	अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 449 दिनांक 13/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 449 दिनांक 13/03/24 अनुसार आवेदित क्षेत्र सड़क से लगकर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तालचिरी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—5 दिनांक 14/05/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बी-1 श्रेणी का प्रकरण है, अतः ईआईए के साथ डीएसआर संबंधी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

With reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case. This is due to changes in production From 4940 Cu.mt/year to 4940 Cu.mt/year Stone & M-Sand 4447 Cu.mt/year in the previous environmental clearance granted by DEIAA. As a result, we are submitting an application for this case to be considered as new

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 / 2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

25. Case No. P2/907/24 DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED, New Plot No. 152, Administrative Building, , Near Village Narwar, District Ujjain-456664 Prior Environment Clearance for MPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited,

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas. (TOR).

The proposed project falls under item no 7(h) for Proposed Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas.

SN	Projects Details	
1.	Online Proposal No	SIA/MP/INFRA2/472386/2024.
2.	Proposal /Activity Name Location of Project	Mr. S.K. Jain, Executive Engineer,M/s DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED, Administrative building, New plot No. 152, Village: Narwar, Tehsil & Distt.-UJJAIN (M.P.) 456664. <i>Prior Environment Clearance for Proposed 5 MLD CETP Vikram Udyogpuri LimitedMPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas.</i> SIA/MP/INFRA2/472386/2024., Cat. 7(h) Common Effluent Treatment Plants (CETPs)
3.	Project Proposal For	Expansion.
4.	Description of Project	MPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas.
5.	Earlier EC/CTE/CTO of Existing Projects Proposal No.	SIA/MP/NCP/302164/2023. MPSEIAA Case No. 1728/2013. Date of environmental clearance: MPSEIAA issued vide letter No, 7213/MPSEIAA/2015 dated 05/11/2015
6.	ToR Status	Proposed.
7.	Land use planning	S.No. Particulars Total Area proposed – (Sq. Mt.) 1 Total Land Area 11702 2 Built up area 7758 2.1 CETP Area 7317 2.2 Utility-DG 335 2.3 R/M area 56 2.4 Office Block 50 3 Green Belt Area 3944
8.	Undertaking/ Affidavit	Affidavit submit dated 18/04/2024.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PP Submit Affidavit – No litigation Pending. ➤ PP Submit Affidavit – Additional Construction Start PP submit Letter No. 33 dated 18/04/24. .
9.	DFO NOC	PP Apply Vide Letter No. 33 dated 18/04/24.
10.	DMIC-VIKRAM UDYOGPURI, UJJAIN LIST OF INTERESTED INDUSTRIES For CETP	23 No. (<i>List Enclosed as per information uploaded on Parivesh Portal</i>)
11.	Water Source	WTP, MPIDC
12.	Water Consumption	35 KLD
13.	Fuel	Natural Gas/ HSD.
14.	Land acquired in Sq. Mt.	11702 SQM.
15.	DG Set details	DG Set 1100 KVA * 1 Nos.
16.	Env. Con.	Consultant will be involved at the time of EIA.
17.	PFR	Submitted.
18.	Google image status	Coordinates 1. 23° 5'31.58"N 75°56'39.62"E 2. 23° 5'33.11"N 75°56'42.22"E 2. 3. 23° 5'28.27"N 75°56'43.91"E 4. 23° 5'26.63"N 75°56'43.53"E 3. 5. 23° 5'26.42"N 75°56'40.09"E

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Nikhil Chavan from M/s. Perfect Enviro Solution Pvt. Ltd. Delhi along with PP. Wherein submitted that MPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas.

Committee after deliberations decided that being it's a case of Common Effluent Treatment Plant and falls under B-1 category standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

1. An inventory of all the out-falls incorporating the discharge and quality of the waste being discharged shall be furnished.
2. Sampling shall be carried out across the length of the main sewer trunk at selected points to assess the quality (including toxic substances) of waste being carried by the sewer line.

3. Analytical parameters should be selected on the basis of the nature of industries putting their wastes into the sewer line.
4. Based on the analytical results and the discharge rate worst-case scenario shall be evaluated and considering the same treatability studies for the proposed CETP shall be carried out to optimize the specifications.
5. Elaborate process of ZLD.
6. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.

26. Case No. P2/908/24 M/s Ripride Remedies Pvt. Ltd. Plot No. 75 A, VikaramUdyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for manufacturing of 4020 TPA of Pharmaceutical Intermediates& Active Pharmaceutical Ingredient (API) along with by products and non EC products. Total plot area of 18429.01 m² a.TOR SIA/MP/IND3/472537/2024.

This is case of Prior Environment Clearance for manufacturing of 4020 TPA of Pharmaceutical Intermediates& Active Pharmaceutical Ingredient (API) along with by products and non EC products. Plot No. 75 A, at Vikaram Udyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, Madhya Pradesh .

PP submitted following points on the Parivesh Portal:

SN	Projects Details	
1.	Proposal /Activity Name Location of Project	Shri Ankit Kumar Chordia, Director, M/s. Ripride Remedies Pvt. Limited, 16/8/1, Race Course Road, Indore, Distt. - Indore (M.P.)- 452003. Prior Environment Clearance for at Plot No. - 75 A, VikaramUdyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, (M.P) for manufacturing of 4020 TPA of Pharmaceutical Intermediates& Active Pharmaceutical Ingredient (API) along with by products and non EC products. Total Plot Area - Total Plot area of 18,429.01 m ² (1.8429 Ha.), Cat. - 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/472537/2024.
2.	Description of Project	M/s Ripride Remedies Pvt. Ltd.is going to establish manufacturing facility located at Plot No. 75 A, VikaramUdyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, Madhya Pradesh for manufacturing of 4020 TPA of Pharmaceutical Intermediates& Active Pharmaceutical Ingredient (API) along with by products and non EC products. The company intends to procure the latest available technology for manufacturing the products. The Unit will be set up on Total Plot area of 18,429.01 m ² and total cost of the project will be Rs. 20 Crore.
3.	Total Plot Area	Total Plot area of 18,429.01 m ² (1.8429 Ha.),

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

4.	ToR Status	Proposed ToR Submitted by PP.			
5.	Upload EC Letter (in pdf) as per Parvesh Portal.	EC- Industrial Area- MPSEIAA, Case No. – 1728/2013, EC issued vide letter no. 7263 /SEIAA/2015 Bhopal Dated 05/11/2015.			
6.	Activity Location	Plot No. 75 A, VikaramUdyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, (M.P.).			
7.	Production Capacity	As per information upload Parivesh Portal.			
		SN	Name of Product	Qty. / Capacity Unit TPA	Remark
		1.	Pioglitazone HCl	4	API
		2.	Imeglimin Hydrochloride	4.55	API
		3.	Metformin Hydrochloride	4	API
		4.	Bicalutamide, Cyclophosphamide, Dorzolamide HCl, Fluorometholone Acetate, etc.	1158	APPROX 188 PRODUCT WILL BE PROPOSED. LIS OF ALL PRODUCT IS ENCLOSED AS ANNEXURE WITH APPLICATION
		5.	Esomeprazole Magnesium Trihydrate	25	API
		6.	Itraconazole Lansoprazole Linezolid Omeprazole Pantoprazole sodium sesquihydrate Pregabalin Sitagliptin Phosphate Candesartan CilexetilDapoxetine Hydrochloride Dronedarone Hydrochloride Duloxeti	6030	APPROX 115 PRODUCT WILL BE PROPOSED. LIS OF ALL PRODUCT IS ENCLOSED AS ANNEXURE WITH APPLICATION
8.	Land Registry details	18429.01 sqmt.Land Registry Sub Registrar office- Ujjain, dated 26/04/2024.			
9.	Land Allotment details	Allotment Order No : DMIC NALI2A24/229 Bhopal Dated 12/03/2024.			
10.	No Construction Status	No Construction start at site PP Affidavit submitted dated 07/05/2024.			
11.	No Litigation Pending	No Litigation Pendingat PP Affidavit submitted dated 07/05/2024.			
Documentary Details					
12.	PFR	Submitted by PP.			
13.	D.G. Set details	DG Set 250 kVA DG Set 500 kVA DG Set 1000 kVA			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

14.	Water Supply and CTEP permission	No. DMIC VUL/Tech/2024/38 Ujjain Date 19/04/2024. DMIC VUL will supply the water as per your requirement of 272 KLDay.
15.	Env. Con.	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).

The case was presented by PP Shri Ankit Kumar Chordia, Director, M/s. Ripride Remedies Pvt. Limited, and their environmental consultant Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
3. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
4. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
5. In PFR the area of existing green belt is shown as 4605 Sq. Mtr and mentioned that for expansion the green belt will remain the same which is not acceptable. For roughly 2times expansion, proportionate green belt shall also be developed either within the plant (In-situ re-densification) or in the IA for which as detailed scheme shall be discussed in the EIA report.
6. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
7. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
8. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
9. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
10. Proposed safety measures for LABSA plant.
11. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

12. VOC should be monitored in the AAQ.
13. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
14. Detailed plant layout on A3 size map.
15. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
16. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
17. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve ‘Zero liquid discharge’ from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.
18. It shall also be discussed in the EIA report that in case of accidental discharge of effluent what will be the protective measures adopted by industry to avoid its confluence in Ganga Basin through Betwa River.
19. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
20. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.

27. Case No. P-2/499/24 Shri Raman Mathur, Director, M/s Mexican Agro Chemical Ltd., 9/2 South Tukoganj Behind Surya Hotel, Indore 452001, Prior Environment Clearance for Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. at Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt. – Mandsaur (M.P.), 458895. Cat. 5(a). EIA SIA/MP/IND3/473371/2024.

This is case of Prior Environment Clearance for Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. at Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt. – Mandsaur (M.P.), Category 5 (a), Chemical fertilizer.

PP submitted following details on the Parivesh Portal:

SN	Projects Details		Case No. P2/499/2024.
1.	Online	SIA/MP/IND3/473371/2024.	.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Proposal No						
2.	Proposal /Activity Name	Shri Raman Mathur, Director, M/s Mexican Agro Chemical Ltd., 9/2 South Tukoganj Behind Surya Hotel, Indore 452001, Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. at Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt. – Mandsaur (M.P.), SIA/MP/IND3/473371/2024.				
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of Existing Fertilizer Unit Capacity -120000 TPA. (All Single Super Phosphate without H ₂ SO ₄ production). Cat: 5(a) Chemical fertilizers Project.				
4.	EC Status	Expansion Case.				
5.	Description of Project	CAPACITY EXPANSION OF EXISTING SINGLE SUPER PHOSPHATE FERTILIZER UNIT (SSP, GSSP PLANT) [Submitted Under vide EIA Notification 2006]				
6.	ToR Status	ToR Recommended in 736 th SEAC Meeting Dated 03 /04/2024. ToR letter issued TO24B1902MP5289542N dated 16/04/2024.				
7.	Capacity	Name of Product	Existing Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity	Unit
		Single Super Phosphate (Normal SSP, Boronated SSP powdered-16%P ₂ O ₅ & Zincated SSP powdered-16%P ₂ O ₅)	60,000	60,000	1,20,000	TPA
		GSSP (Singal Super Phosphate Granular-16% P ₂ O ₅ , Boronated Singal Super Phosphate Granular - 16% P ₂ O ₅ ,Zincated Singal Super Phosphate Granular - 16% P ₂ O ₅ ,Boronated & Zincated Singal Super Phosphate)	30,000	0	30,000	TPA
8.	Date of latest consent issued	AW-55164.Consent issued 01/02/2022.				
9.	Validity of latest consent (valid up to)	31/12/2026.				
10.	Project has been exempted from Public Hearing?	Yes.				

Documentary Details

11.	Lease Deed details	14 Sep. 2005.
12.	DG set details	1x163 KVA and 1x200 KVA.
13.	DFO NOC	PP Apply letter No.NIL date 17 /01/2024.
14.	Water CGWA Apply	CGWA Apply - Application Code : 98545,

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		Total Water Requirement (a+b+c+d) (m3/day) - 74)(m3/day).
15.	PFR	Submitted by PP Online.
16.	Final EIA Report	Submitted by PP Online.
17.	Env. Consultant.	Shri Shubham Dubey, Envisolve LLP, Indore(M.P.).

The EIA was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP Shri Raman Mathur, Owner, M/s Mexican Agro Chemicals Ltd. wherein PP submitted that this unit has proposed an Expansion of its Existing Fertilizer (SSP and GSSP) Manufacturing Plant located in Plot No. B Industrial Area Jaggakhedi Dist. Mandsaur (M.P.) The plant currently operating on valid CTO and deals in the manufacturing of Single Super Phosphate (Powder & Granulated).(SSP Plant-60000 MTPA & GSSP Plant-30000 MTPA).

PP further submitted that the total production capacity of the plant after expansion is about 120000 MT /Annum of SSP. The total estimated cost of the project Rs. 807.51 Lakhs out of which Rs. 100.5 Lakh (capital cost) is allocated for environmental management systems and the annual reoccurring cost for the same is Rs 15.7 Lakh/annum, as well as Rs. 6.5 Lakh is allocated for Corporate Environment Responsibility (CER) Activities. The major facilities involved are Cyclone separator, Bag filter, Venturi Scrubber STP, parking and greenbelt/plantation will developed as per plan. Based on the ground level concentration evaluated by dispersion modelling, it is found that due to the operation of proposed expansion incremental values of various parameters are well within the permission limits as prescribed in the National Ambient Air Quality (NAAQ) standards. Hence, it may be concluded that there would not be any adverse impacts on surrounding air environment within the study area due to the proposed expansion. **The unit will maintain Zero Liquid Discharge ZLD** as well as optimize/minimize the fresh water requirement and there will be no Land use / Land cover change as this is expansion of existing project. The proposed expansion shall be undertaken within the existing site of the project and the present land use of the existing site is industrial site. No undeveloped or agriculture land will be used. No clearance work will be required. Expansion is proposed at existing plan.

The Chronology of the project:

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

- M/s. Mexican Agro Chemicals Limited presently operating with valid Consent to Operate (CTO) at Plot No. B Industrial Area Jaggakhedi Dist. Mandsaur (M.P.)
- Since the unit is running under valid Consent to Operate vide Consent No:Consent No: AW-55164 valid, upto 31.12.2026.
- The industry wishes to expand its products capacity hence they applied for Environmental Clearance.
- The project falls under 5 (a) chemical fertilizer (ii) category B of the EIA Notification & its amendments issued by the Ministry of Environment & Forest vide S.O.1533 (E), dated September 2006, & its amendments.

Product Profile

	Details of Plant	Quantity in MTPA	Existing	Proposed	Total
A	SSP Plant :				
a	Normal Single Super Phosphate	MTPA	60000	60000	120000
b	Boronated Single Super Phosphate Powdered - 16% P2O5				
c	Zincated Single Super Phosphate Powdered - 16% P2O5				
B	GSSP Plant :				
a	Boronated Single Super Phosphate Granular - 16% P2O5	MTPA	30000	No Change	30000
b	Zincated Single Super Phosphate Granular - 16% P2O5				
c	Singal Super Phosphate Granular - 16% P2O5				

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

d	Boronated & Zincated Single Super Phosphate Granular - 16% P2O5				
	TOTAL		60000	60000	120000

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of Existing Single Super Phosphate Fertilizer Unit**, M/s. Mexican Agro Chemicals Limited at Plot No. B Industrial Area Jaggakhedi Dist. Mandsaur (M.P.). [Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT.] Cat. -5(a). Subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. All tailing collection ponds shall have HDPE lining with appropriate piezometer holes & leachate collection arrangements. All the components of this system should be well within approach for smooth monitoring.
2. Alkali scrubbing shall be carried out for scrubbing the fluorine.
3. Continuous Emission Monitoring System shall be installed with inter-locking system such that in case of any failure when emissions are beyond the threshold limits the complete operation of the plant trips down automatically.
4. Zero liquid discharge“ condition shall be maintained and no process effluent will be discharged outside the plant premises.
5. Cyclone and Dust Collection Filter Bag assembly shall be installed to arrest the fine dust particles from the air before venting to atmosphere through Stack of suitable height as per stipulated norms. The air emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
6. The Gases resulting from reaction of rock phosphate and Sulphuric acid shall be sucked from Den / Mixer and Scrubbed with water in 3 Stages Venturi Scrubber, Separators / Separator Scrubbers to absorb fluoride bearing gases in the scrubbers. The air shall be vented to atmosphere through Stack of suitable height as per stipulated norms and following proposed stacks height in the project:

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Sr. No.	Particulars	Stack Height (m)	Source of Emission	Predicted Air Emissions	Air Pollution Control measures
1.	SSP	40	Rock Phosphate and Acid	<ul style="list-style-type: none"> Dust generation Fluoride bearing gases 	<ul style="list-style-type: none"> Cyclone Separator & Bag filter 3 Stages Venturi Scrubber Sufficient stack height
2.	GSSP	30	Grinding	<ul style="list-style-type: none"> Dust generation 	<ul style="list-style-type: none"> Sufficient stack height Cyclone Separator
3.	DG Sets- 1x 163 KVA & 1x 200 KVA	15	-	PM, SOX, NOX	<ul style="list-style-type: none"> Sufficient stack height Periodic tuning of diesel engine and cleaning of air filter carburetor

- The emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
- The hot air from dryer drum and atmospheric air from Cooler drum shall be sucked and passed through Multi Clones and Cyclones to arrest the fine dust particles before venting to atmosphere through Stack of suitable height (minimum 30 meters) as per stipulated norms. The air emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
- At mixer and Den, during acidulation gases will be liberated. These gases from mixer and Den will be passed through absorption stages i.e. Ejector, Cyclone separator, Ventury Scrubber, Multi Stage Scrubbing Towers.
- Biomass/Coal shall be used as fuel in the HAG. The unit shall be provided with two stage cyclone separator followed by 3 stages ventury to achieve the desired norms and scrubbed liquid will be used in the process. In the SSP plant, dust collector and cyclone shall be provided for removal of particulate matter from grinding of rock phosphate. Dust separated from the cyclone separator and as well as from the dust collector shall be reused in process.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

11. Hydrogen Fluoride gas generated from the process of SSP shall be conveyed in rubber ducts to the scrubbers. A setting chamber along with two stage water spray scrubbers and three stage ventury scrubbers shall be provided to obtain the desired level of Hydrogen Fluoride.
12. The traces of Fluro Silicic coming from ventury scrubber shall be scrubbed with caustic lye solution in Alkali scrubber and this scrubber liquor shall be re circulated within the scrubber upto P.H 7 and utilized in the manufacturing process.
13. Ash collection system shall be provided to control PM emission. Furnace Ash shall be used as filler in SSP plant.
14. The rock phosphate shall be transported under cover truck only.
15. The SSP process happens under shed and powder SSP shall be moist conditions. As such all products remains confine to shed area only. All precaution and provision are made for arresting the dust particle during crushing of rock and handling of SSP shall include covered conveyer system with dust collection system at transfer points and Water spraying shall be done for dust suppression in dust generating areas/ roads. Provisions for dust extraction systems at dust generating source shall be provided.
16. Online emission monitors shall be provided for all stacks.
17. All the unpaved roads as well as paved roads, which are exposed to high dust concentrations within plant, will be sprinkled with water and road sweping machines shall be deployed.
18. Storage area shall be clearly earmarked and enclosure shall be provided for all the loading & unloading operations. Conveyors shall be provided with conveyor cover.
19. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
20. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
21. The existing Green Area of the plant is 760.30 m² (8%).
22. Additionally, PP has purchased 4.24 hac land at Vill. Ghurasiya Dist. Agar Malwa for tree plantation. (Khasra number 171/1/1, 171/1/2, 173/2, 173/1/3 and 173/1/4). The plantation will be done on 1.14 hac (27%)
- 23. Total 35% plantation shall be done and PP shall plant 3060 number of treesas per following plantation scheme:-**

Sr. No.	Trees Common Name	Scientific Name	No of Tress

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

1	Azadirachta Indica	Neem	150
2	Ficus Venjamin	Banyan	100
3	Delonix regia	Gulmohar	100
4	Cassia fistula	Amaltas	200
5	Mangifera indica	Aam	150
6	Tectona grandis	Sagon	150
7	Saraca asoca	Ashoka	150
8	Neolamarckia cadamba	Kadam	250
9	Syzygium cumini var. cumini	Jamun	100
10	Magnolia champaca	Gobar Champa	50
11	Pongamia pinnata	Karanj	200
12	Ficus religiosa	Peepal	250
13	Putranjiva roxburghii	Putranjiva	200
14	Bauhinia variegata	Kachnar	250
15	Albizia Lebbek	Siris	250
16	Schleichera oleosa	Kusum	210
17	Pithecellobium dulce	Jangali Jalebi	300
	Total		3060

24. PP also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
25. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 100.5 Lakhs as capital and Rs. 15.7 Lakhs as recurring cost for this project.

ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN			
Sr No	Environment components	Capital Investment cost (Lac)	Recurring cost in Lac
1	Fire Fighting Equipment	20	3
2	Occupational health & Safety	4	2
3	Environment monitoring	3	1
4	Air Pollution Control Equipment's	20	5

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5	Tree plantation	20	2
6	Water Pollution Control (STP)	15	1.5
7	Hazardous waste Disposal	1	0.5
8	Solar Power	5	0.5
9	EHS Manpower	2.5	0.2
10	Tree plantation at Gandhisagar Abhyaranya	10	
	TOTAL	100.5	15.7

26. For Corporate Environment Responsibility project PP has proposed Rs 6.5 Lakhs as per following proposed activities:

S.No.	Particulars	Total in lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Skill development programme for youth of the surrounding villages (Takrawad Bomraspet, Sabakheda) through ITI	2	0.7	0.7	0.6
2	School Development of Govt School Sabakheda	1.5	0.5	0.5	0.5
3	Provision of X-ray Machines at PHC Pipliya Mandi	3	1	1	1
Total in lac		6.5	2.2	2.2	2.1

27. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशेष शर्तों के साथ
परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

28. Case No. 11256/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhauti Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 104), Village-Bhaunti, Tehsil-Badi, District-Raisen (MP).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी /निजी)	खसरा नं. – 104 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 2.00 हे.
स्थल	ग्राम – भौती, तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भौती रेत खदान, दिनांक– 24/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भौती रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 24,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 13.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 15.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	मानव संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व महत्व के स्मारक / रेलवे भवन / अम गान घाट / मार्ग / संवेदन फील क्षेत्र इत्यादि स्थित नहीं हैं। बसाहट / ऐक्षणिक धरोहर / राश्ट्रीय लाइन / सार्वजनिक रेलवे राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन फील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भौती, जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-38 एवं पेज नं.-97 के सरल क्रमांक-38 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 2.0 है। एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 24,000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल मार्झिनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुर्स करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.90 लाख प्रति वर्ष ।

S.No •	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 1.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300m in length × 5m in width)	90,000	25,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (1100X150= ₹1,65,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (100X500= ₹ 50,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (1200X50 = ₹ 60,000)	2,75,000	25,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (10 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	10,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	8,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,00,000 20,000	1,00,000 -
	Total	8,21,000/-	3,90,000/-

15. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.02 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,02,000 की राशि पालक प्रक्षक संघ समिति ग्राम भौती के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,02,000
कुल	1,02,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1200 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंकित— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंकित — कटंग बांस 6 पंकित — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल,	1100

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
कुल			2400
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. 11245/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

for Boras Sand Quarry in an area of 2.023 ha. (24276 cum per year) (Khasra No. 735), Village-Bauras, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 735 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 2.023 हे.
स्थल	ग्राम – बोरास, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बोरास रेत खदान, दिनांक – 14/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बोरास रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 24,276 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 24,276 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1219 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 4.00 है. है। इस प्रकार कुल रकबा 6.023 है. है। अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1219 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1219 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बोरास जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2022 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां आग सूखा हुआ है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-28 एवं पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 04 / 2024, को संपन्न हुई ।</p> <p>आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम दिशा में 830 मी. पर रोड ब्रिज है । अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 2.023 है. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 24,276 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -24,276 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.83 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (1100X150= ₹1,65,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (100X500= ₹ 50,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (1230X50 = ₹ 61,500)	2,76,500	54,720
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (10 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	10,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,00,000 20,000	1,00,000 -
	Total	7,92,500/-	3,83,720/-

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.8 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 80,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम बोरास के खाते में भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	80,000
कुल	80,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1230 वृक्षों का वितरण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1230
कुल			2430
<input checked="" type="checkbox"/>	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. 11257/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Aliganj-1 Sand Quarry in an area of 7.50 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 423), Village-Aliganj, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉन्साइलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 423 (ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 7.50हे.
स्थल	ग्राम – अलीगंज, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन, म.प्र.	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अलीगंज – 1 रेत खदान, दिनांक – 26/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अलीगंज – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 19.405 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 26.905 अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	मानव संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व महत्व के स्मारक / रेलवे भवन / अम गान घाट / मार्ग / संवेदन फील क्षेत्र जैसे— स्टेन / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।	बसाहट / ऐक्षणिक धरोहर / राश्ट्रीय लाइन / सार्वजनिक राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन फील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अलीगंज जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	ग्राम पंचायत अलीगंज जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थित पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-17 एवं पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-17 एवं पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः नॉन माईनिंग एरिया 2.39 है। छोड़ने के बाद माईनेबल एरिया 5.11 है। उपलब्ध होती है। अतः लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 5.11 है। एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 90,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत –90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्त्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.05 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (4300X150= ₹6,45,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (200X500= ₹ 1,00,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (4500X50 = ₹ 2,25,000)	9,70,000	2,05,200
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (38 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	38,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	1,50,000	-
	Total	17,86,000/-	7,05,200/-

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,40,000 की रा.पी रोगी कल्याण समिति ग्राम अलीगंज के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	1,40,000
कुल	1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4500 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंकित— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4–5 पंकित — कटंग बांस 6 पंकित — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4300

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4500
कुल			9000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. 11265/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sankheda-1 Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 405), Village-Sankhera, Tehsil-Badi, District-Raisen (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेसा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 405 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 03.00हे.
स्थल	ग्राम – सनखेड़ा, तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सनखेड़ा – 1 रेत खदान, दिनांक – 19/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सनखेड़ा – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1238 दिनांक	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

	21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 21.60 है. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.60 है. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अम गान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सनखेड़ा, जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 11/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-47 एवं पेज नं.-99 के सरल क्रमांक-47 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 01/04/2024, को संपन्न हुई।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 3.0 है। एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 36,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत —36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.95 लाख प्रति वर्ष।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 1.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300m in length × 5m in width)	90,000	20,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1000X150= ₹1,50,000) (100X500= ₹50,000) (2500X50 = ₹1,25,000)	3,25,000 50,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (10 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	10,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/coolier). Total Workers deployed are 30	30,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 30 Labors -30× 500 × 2)	-	30,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 30 workers - 30 × 1500)	45,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration	1,00,000	1,00,000
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
		Total	8,46,000/-	3,95,000/-

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. गतिविधि			
सी.एस. आर. मद से ग्राम सनखेड़ा में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे।			
साल	संस्था का नाम	सामग्री	राशि
1	शासकीय स्कूल सनखेड़ा में	बच्चों के लिये पुस्तकें, स्टे अनरी, कीड़ा सामग्री एवं स्कूल के लिये फर्नीचर	50,000
2	आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम सनखेड़ा	बच्चों के लिये पोशण आहार एवं खिलौनौ का वितरण	60,000
कुल			1,10,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2500 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं	1000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2500
कुल			3600
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. Case No. 11248/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Ghatpipriya-3 Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (96000 cum per year) (Khasra No. 306), Village-Ghatpipaliya, Tehsil-Barailly, District-Raisen (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 306 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 8.00 हे.
स्थल	ग्राम – घाटपिपरिया, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घाटपिपरिया – 3 रेत खदान, दिनांक – 14/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा घाटपिपरिया – 3 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 96,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 96,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 8.90 है। इस प्रकार कुल रकबा 16.90 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संरथा/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अम गान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन ग्रील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घाटपिपरिया जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 28/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-92 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लागू हो तो)	04 / 04 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--------------	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है । अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 8.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 96,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत —96,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैच्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्त्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 16.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.88 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (2250X150= ₹3,37,500) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (150X500= ₹ 75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (7200X50 = ₹ 3,60,000)	7,72,500	1,09,440
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (40 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	40,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	2,00,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,50,000 1,50,000	1,50,000 -
	Total	16,08,500/-	5,88,440/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन घाटपिपरिया के निर्माण कार्य हेतु 1,50,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	1,50,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

कुल	1,50,000
-----	----------

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7200 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2250
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	7200
कुल			9600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आडे—तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख —

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No. 11260/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Biser-1 Sand Quarry in an area of 5.60 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 194), Village-Biser, Tehsil-Badi, District-Raisen (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 194 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 5.60 हे.
स्थल	ग्राम –बिसेर, तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बिसेर रेत खदान, दिनांक— 12 / 12 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बिसेर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 67,200 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1236 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्थीकृत हैं। जिनका रकबा 19.00 है. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.60 है. हैं। अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1236 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1236 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ ऐक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सनखेड़ा (के अंतर्गत ग्राम बिसेर) जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 11/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-99 के सरल क्रमांक-46 एवं पेज नं.-101 के सरल क्रमांक-46 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/03/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है । अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 5.6 है. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 67,200 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.85 लाख प्रति वर्ष।

S.No •	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 1.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	90,000	20,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3020X150= ₹4,53,000)	7,28,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs.	(200X500=	1,53,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	500/plant.	₹ 1,00,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3500X50 = ₹ 1,75,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (32 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	32,000	
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000	
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	8,000	
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000	
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	12,000	
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000	
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000		
16	To reduce carbon footprint sequestration			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
16(B)	Distribution of LED Bulb	1,00,000	-
	Total	14,04,000/-	5,85,000/-

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसेर में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हेतु 1,40,000 रुपये की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसेर के बैंक खाते में भू—प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा किये जाएंगे	1,40,000
कुल	1,40,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3,220 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3,500 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3,020
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ओँवला, मुनगा	3,500

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
	कुल	6720
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप:	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34. Case No. 11263/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Biser Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 242), Village-Biser, Tehsil-Badi, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473660/2024

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉन्साइलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 242 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 01.00हे.
स्थल	ग्राम – बिसेर, तहसील – बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बिसेर रेत खदान, दिनांक – 12/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बिसेर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 12,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 23.60 है. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.60 है. हैं। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सनखेड़ा (के अंतर्गत ग्राम बिसेर) जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 11/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-45 एवं पेज नं.-101 के सरल क्रमांक-45 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 1.0 है। एवं मार्झन

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 12,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्त्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.43 लाख प्रति वर्ष।

S.No •	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (400X150= ₹60,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (100X500= ₹ 50,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (700X50 = ₹ 35,000)	1,45,000	35,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (6 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	6,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 20	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20× 500 × 2)	-	20,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20×1500)	30,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15×20 ft) = 300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,00,000 20,000	1,00,000 -
	Total	6,11,000/-	3,43,000/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
प्रत्येक छह माह में 60,000 रुपये की राशि से ग्राम बिसेर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें ग्रामवासियों के मधुमेह, रक्तचाप एवं मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की निशुल्क जांच की जावेगी	60,000
कुल	60,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 700 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	400

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
कुल			1200
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिरिथितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35. Case No. 11255/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

**Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for
Dhabla Sand Quarry in an area of 13.00 ha. (156000 cum per year) (Khasra No.
259), Village-Dhabla, Tehsil-Barailly, District-Raisen (MP)
SIA/MP/MIN/473530/2024] By Mistake case number is 10255**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	<p>श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेस हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।</p>	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 259 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 13.00 हे.
स्थल	ग्राम –ढाबला, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन, म. प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम ढाबला रेत खदान, दिनांक – 23/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा ढाबला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है,	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,56,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,56,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 20.00 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 33.00 हे. है। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अम गान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ढाबला जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां आग सूखा हुआ है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-93 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.-99 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04 / 04 / 2024, को संपन्न हुई ।</p> <p>आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है । अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 13.0 है. एवं मार्झन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,56000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -1,56000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल मार्झनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 24.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 8.47 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ (7350X150= ₹11,02,500) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (250X500= ₹ 1,25,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (8000X50 = ₹ 4,00,000)	16,27,500	3,46,536
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (65 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	65,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,50,000 1,50,000	1,50,000 -
	Total	24,13,500/-	8,47,536/-

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम ढावला के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 2,20,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	2,20,000
कुल	2,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7600 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8000 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	7350
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	250
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	8000
कुल			15600
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36. Case No. 11243/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Kelkacch-2 Sand Quarry in an area of 8.40 ha. (100800 cum per year) (Khasra No. 385), Village-Kailakachh, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473355/2024]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 385 (ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 8.40 हे.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

स्थल	ग्राम – केलकच्छ, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन, म.प्र.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत मार्झनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ – 2 रेत खदान, दिनांक – 04 / 10 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केलकच्छ – 2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,00,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,00,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 22.070 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 30.47 हे. अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ औक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/ सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेन/ दूरद नि/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केलकच्छ जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-36 एवं पेज नं.-97 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024 को दोपहर 01:00 बजे संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 8.4 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,00800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत –1,00800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भारूल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्त्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.05 लाख प्रति वर्ष ।

S.No •	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (3000X150= ₹4,50,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (350X500= ₹ 1,75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (6730X50 = ₹ 3,36,500)	9,61,500	1,52,748
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (63 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	42,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		 30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration	1,00,000	1,00,000
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	-
	16(B) Distribution of LED Bulb	1,00,000	-
Total		17,97,500/-	7,05,748/-

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम केलकच्छ के रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में 1,80,000 रुपये की राशि भू प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा करा दी जावेगी	1,80,000
कुल	1,80,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 6730 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंकित— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4—5 पंकित — कटंग बांस 6 पंकित — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एंव चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एंव स्थानीय प्रजातियाँ	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई	नीम, पीपल, अचार, बरगद,	350

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	6730
कुल			10080
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No. 11242/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kelkacch-1 Sand Quarry in an area of 16.00 ha. (192000 cum per year) (Khasra No. 299), Village-Kailakachh, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473337/2024]

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 299 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.00 हे.
स्थल		ग्राम – केलकच्छ, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन, म.प्र.
लीज स्वीकृति		मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ – 1 रेत खदान, दिनांक – 04 / 10 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केलकच्छ – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,92,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,92,000	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1226 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 19.326 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 35.326 अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1226 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1226 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि मानव बसाहट/ौक्षणि संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अमान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे—रेडिस्टे अन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्था इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केलकच्छ जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां आग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—67 के सरल

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	क्रमांक—35 एवं पेज नं.—96 के सरल क्रमांक—35 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03 / 04 / 2024 को संपन्न हुई ।</p> <p>आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है । अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 16.0 है. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,92000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत —1,92000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

7. खदान संचालन भुर्ग करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 29.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 10.71 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (8000X150= ₹12,00,500) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (350X500= ₹ 1,75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (10850X50 = ₹ 5,42,500)	19,17,500	3,80,772
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (80 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	80,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water	40,000	4,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	2,00,000 1,50,000	2,00,000 -
Total		29,03,500/-	10,71,772/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम केलकच्छ के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,50,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम केलकच्छ के बैंक खाते में भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,50,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ग्राम केलकच्छ के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 1,70,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,70,000
कुल	3,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10850 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	8000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	350
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	10850
कुल			19200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

38. Case No. 11244/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kelkacch Sand Quarry in an area of 2.428 ha. (29136 cum per year) (Khasra No. 385), Village-Kailakachh, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473304/2024]

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता — पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. — 385 (आसकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल — 2.428 हे.
स्थल	ग्राम — केलकच्छ, तहसील — उदयपुरा, जिला — रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक — एफ—19—2—2019—बारह—1 पार्ट—6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केलकच्छ – द रेत खदान, दिनांक– 04 / 10 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केलकच्छ – द रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 29,136 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.104 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 14.532 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ अम ान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेन/दूरद र्नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केलकच्छ जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-34 एवं पेज नं.-96 के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024 को दोपहर 02:00 बजे संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.708 है। छोड़ने के बाद उत्थनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 1.72 हैं है। अतः लीज एरिया के उत्थनन क्षेत्र 1.72 है। एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 29,136 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -29,136 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुर्स करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.64 लाख प्रति वर्ष।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (750X150 = ₹1,12,500)	2,92,500	41,040
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs.	(150X500)	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	500/plant. c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	= ₹ 75,000) (2100X50 = ₹ 1,05,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (12 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	12,000	
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000	
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000	
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000	
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000	
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000	
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to	6,000		

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total		8,78,500/-	3,64,040/-

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम केलकच्छ के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम केलकच्छ के बैंक खाते में भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	1,00,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2,100 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	750
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम,	150

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

		आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2100
कुल			3000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39. Case No. 11246/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ketudhan-2 Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 510), Village-Ketoghan, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473265/2024]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. – 510 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन, म. प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान – 2 रेत खदान, दिनांक – 16 / 11 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान – 2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/ स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 8.356 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.356 अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केतुधान जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-25 एवं पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024 को दोपहर 12:00 बजे संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। वर्तमान गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग जलमग्न है। प्रस्तुतीकरण में उपस्थित उस क्षेत्र के मार्झिनिंग

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

ऑफिसर श्री आर. के. केथल के अनुसार वर्तमान में खनन क्षेत्र सूखा हुआ है व उत्खनन हेतु रेत उपलब्ध है। मार्च 2021 के गुगल ईमेज के अनुसार भी खनन क्षेत्र सूखा एवं रेत उपलब्ध होना परिलक्षित पाया गया। खनन क्षेत्र के आसपास कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 3.0 है। एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 36,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुर्स करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.40 लाख प्रति वर्ष।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	PLANTATION SCHEME Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (600X150= ₹ 90,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (150X500= ₹ 75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (2850X50 = ₹ 1,42,500)	3,07,500	34,200
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (15 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	15,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for	5,000	1,000

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	1,00,000 20,000	1,00,000 -
	Total	9,13,500/-	4,40,200/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम केतुधान के रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में 1,10,000 रुपये की राशि भू प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा करा दी जावेगी	1,10,000
कुल	1,10,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 750 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2850 वृक्षों का वितरण :—

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4–5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2850
कुल			3600
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. 11247/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Ketudhan-1 Sand Quarry in an area of 5.150 ha. (61800 cum per year) (Khasra No. 510), Village-Ketoghan, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473265/2024]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 510 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 5.15हे.
स्थल	ग्राम – केतुधान, तहसील – उदयपुरा, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम केतुधान – 1 रेत खदान, दिनांक – 16/11/2023	

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा केतुधान – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 24/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 61,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 61,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 4.856 है। इस प्रकार कुल रकबा 10.006 है। अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सॉसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अम ान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केतुधान जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-24 एवं पेज नं.-100 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	<p>प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 04 / 2024 को सुबह 11:00 बजे संपन्न हुई।</p> <p>आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः नॉन मार्झिनिंग एरिया 1.80 है। छोड़ने के बाद 3.35 है। उत्थनन हेतु उपलब्ध है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्थनन क्षेत्र 3.35 है। एवं मार्झिन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 61,800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -61,800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैच्यूअल मार्झिनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहँचाई जायेगी।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माझनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माझनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.92 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (1500X150= ₹2,25,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (150X500= ₹ 75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (4550X50 = ₹ 2,27,500)	5,27,500	75,240

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (63 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	26,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	9,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 16(B) Distribution of LED Bulb	2,00,000 20,000	2,00,000 -

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

	Total	12,33,500/-	5,92,240/-
--	--------------	--------------------	-------------------

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केतुधान में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हेतु 1,40,000 रुपये की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केतुधान के बैंक खाते में भू—प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा किये जाएंगे	1,40,000
कुल	1,40,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1650 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4550 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4550
कुल			6200
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41. Case No 10939/2023 Shri Dinesh Sharma, Divisional Office, Ujjain. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Rafu Khedi River Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (2310 Cum/Annum) (Khasra No. 241), Village-,Rafu Khedi ,Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.).

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हैजो पिंगला नदी में है एवं मनोली नदी में मिलता हैजिसमें आज दिनांक 22/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री.दिनेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौसएमेसर्स एम्प्लाइन्वराँन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री दिनेश शर्मा, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	241 (सरकारी-गैर वन भूमि)	8.00 हे.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

स्थल	ग्राम-रफू खेड़ी, तहसील-जावरा, जिला - रतलाम, मध्य प्रदेश (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6, भोपाल दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 2310 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 2310 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/588 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/588 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- रतलाम के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/588 दिनांक 14/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - गोंदी धर्मशी, ग्रामसभा-रफू खेड़ी, जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 19/09/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 25/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई। समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त खदान पिन्गला नदी में लीज क्षेत्र में 02 भाग में है। गूगल इमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः नॉन मार्झिनिंग एरिया 7.06 है। छोड़ने के बाद 0.94 है। उत्खनन हेतु उपलब्ध है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 0.94 है। एवं मार्झिन प्लान अनुसार गहराई 0.25 मी. को

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 2310 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत –2310 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुर्ग करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.70 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	127980
2	Pucca Approach Road construction with speed breakers, Reflectors	187500	18750
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area &	127500	12750

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

S. No.	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
	approach roads		
5	PUC certification for trucks	Nil	3000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20000	2000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	4000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	6000
10	VT Training for Labours	Nil	2000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos.	3000	
Total		3,94,000	2,70,480

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सरकार को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक स्कूल - रफू खेड़ी	22,000
कुल	22,000

वृक्ष रोपण- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 750 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम रफू खेड़ी एवं आसपास के ग्राम में पौधेवितरण	शीशमएसागैनएनीमएआंवलाए पीपलएबरगदएगुलरएअमलतासएखामेरएजामुनएआम एएवं अमरुद।	750
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/			

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण-बीजारोपण एवं रख-रखाव एमौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

अध्यक्ष की अनुमति अन्य प्रस्ताव

प्रकरण क्रमांक पी-2/11/2024 के परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश शुक्ला व उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा आज दिनांक 22/05/24 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश शुक्ला ने समिति को अवगत कराया कि उनका प्रकरण सेक की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/24 को नियत है किंतु उनको इस तारीख को आवश्यक कार्य होने के कारण वे समिति के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उनके प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27/5/24 या 28/05/24 को रखने का अनुरोध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इस बावत् उनके द्वारा पत्र दिनांक 21/05/24 को ई-मेल के माध्यम से इस बावत् अनुरोध भी किया गया है। समिति ने चर्चानुसार निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27/5/24 को नियत की गई किंतु कार्यवाही विवरण परिवेश पोर्टल पर सेक की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/24 के साथ भेजे जायेंगे, क्योंकि यह प्रकरण ऑनलाईन उसी दिन सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

- e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **कशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थानन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of pochlains and it should not be more than two in the project site.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

- ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्झनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacent agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The inter alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 मई 2024

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- रश्मि विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मलिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षरोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फैसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड़ा-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट— 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।

756 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 22 मई 2024

- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -

(In addition to Standard TOR)

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form
 - A- Government land
 1. In barrier Zone
 2. In non mining area (set back)
 3. Along evacuation route
 4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
 5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
 - B- In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
 - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
 - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. Set Back – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.



5. Railway line
6. Wind mills
7. Agriculture land
8. Natural drainage
9. Nala/ river
10. Habitation,
11. Wells, Temples
- 12 Other structures
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any.
4. **For blasting or for non blasting:** If mine lease area within-
 1. 250 m. of forest land
 2. ESZ areas , Buffer area
 3. If private land : Own/Agreement
 1. OWN
 2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 3. Cost benefit ratio
 4. If grass land : grass land development & maintenance
 5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. **If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt,**
 - Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) If – Crusher & M-sand plantis in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

- 1 . Names of villages around the mines area.
- 2 Village wise presence of people
- 3 Photograph
- 4 Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
- 5 Public interest works to be mentioned in CER ac activities
- 6 Distance from mines area in the following public places
 1. Habitation
 2. School
 3. Health centre
 4. other public places
 5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all PESA related requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on surface map
- slurry management
- Water requirement : Quantity & source

(D) If excavation route lies on private land

the permission of land owner for transportation.

(E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.

1. Stone - $10,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with crusher, $15000 \text{ m}^3/\text{yr}$ without crusher
2. murum- $20,000 \text{ m}^3/\text{yr}$
3. Clay – $30,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with kiln & chimney

(F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface plan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) If there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member
(SEAC)**

**Chairman
(SEAC)**